अध्याय–II

विधायी विभाग

जहां तक संघ सरकार के विधायी कारबार का संबंध है, विधायी विभाग मुख्य रूप से एक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। यह विभाग विभिन्न प्रशासनिक विभागों तथा मंत्रालयों के विधायी प्रस्तावों को सुगम एवं त्वरित रूप से संसाधित करने का कार्य सुनिश्चित करता है।

1. कृत्य

1.1 भारत सरकार का एक सेवा–उन्मुख विभाग होने के नाते विधायी विभाग का कार्य निम्नलिखित विषयों से संबंधित है:–

(i) सभी विधायी प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिमंडल के लिए टिप्पणियों का प्रारूपण की दृष्टि से संवीक्षा करना;

(ii) सभी सरकारी विधेयकों को, जिनके अंतर्गत संविधान (संशोधन) विधेयक भी हैं, संसद् में पुरःस्थापित करने के लिए उनका प्रारूपण तैयार करना तथा उनकी विधीक्षा करना, हिन्दी में उनका अनुवाद करना और विधेयकों के अंग्रेजी और हिन्दी, दोनों पाठ लोक सभा अथवा राज्य सभा सचिवालय को भेजना; विधेयकों में सरकारी संशोधनों का प्रारूप तैयार करना, गैर–सरकारी संशोधनों की संवीक्षा करना और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को यह निर्धारित करने में सहायता देना कि गैर–सरकारी संशोधन स्वीकार किए जाने योग्य हैं या नहीं;

(iii) अधिनियमित किए जाने से पहले विधेयक जिन प्रक्रमों से होकर गुजरता है उन सभी प्रक्रमों पर संसद, संसद् की संयुक्त/स्थायी समितियों की सहायता करना। इसके अंतर्गत समितियों के लिए रिपोर्टों तथा पुनरीक्षित विधेयकों की संवीक्षा करना और उन्हें तैयार करने में सहायता देना भी है;

(iv) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए जाने वाले अध्यादेशों का प्रारूप तैयार करना;

(v) जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन हो, उनके संबंध में राष्ट्रपति के अधिनियमों के रूप में अधिनियमित किए जाने वाले विधान का प्रारूप तैयार करना;

(vi) राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले विनियमों का प्रारूप तैयार करना;

(vii) सांविधानिक आदेशों अर्थात् उन आदेशों का प्रारूप तैयार करना, जिन्हें संविधान के अधीन जारी किया जाना अपेक्षित है;

(viii) सभी कानूनी नियमों, विनियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं, संकल्पों और स्कीमों, आदि की संवीक्षा और विधीक्षा करना तथा हिंदी में उनका अनुवाद करना;

(ix) समवर्ती क्षेत्र के ऐसे राज्य विधान की संवीक्षा करना, जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 254 के अधीन राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है;

(x) संघ राज्य क्षेत्रों के विधान–मंडलों द्वारा अधिनियमित किए जाने वाले विधानों की संवीक्षा करना;

(xi) संसद्, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विधान–मंडलों तथा राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के पदों का निर्वाचन;

(xii) निर्वाचनों में हुए व्यय का संघ और राज्यों तथा विधान–मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के बीच प्रभाजन;

(xiii) भारत निर्वाचन आयोग और निर्वाचन सुधार;

(xiv) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951; निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा–शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 का प्रशासन;

(xv) निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा–शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 के अधीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से संबधित विषय;

(xvi) संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी मामले;

(xvii) संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत स्वीय विधियों, संपत्ति अंतरण, संविदाओं, साक्ष्य और सिविल प्रक्रिया आदि से संबंधित विषयों पर विधान;

(xviii) संघ सरकार/राज्य सरकारों, आदि के अधिकारियों को विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण प्रदान करना;

(xix) केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी और संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य भाषाओं में उनके प्राधिकृत अनुवाद का प्रकाशन करना और विधिक तथा सांविधिक दस्तावेजों का भी अनुवाद करना;

(xx) विधिक पत्रिकाओं के रूप में सांविधिक, सिविल तथा दांडिक विधियों से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के चुनिंदा निर्णयों के हिन्दी अनुवाद का प्रकाशन।

(2) विधायी विभाग के नियंत्रणाधीन कोई कानूनी या स्वायत्त निकाय नहीं है। इसके अधीन दो अन्य खंड भी हैं अर्थात, राजभाषा खंड और विधि साहित्य प्रकाशन, जो विधि के क्षेत्र में हिन्दी और अन्य राजभाषाओं के प्रसार के लिए उत्तरदायी हैं।

(क) विधायी विभाग का राजभाषा खंड मानक विधि शब्दावली तैयार करने और प्रकाशित करने और राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन यथाअपेक्षित संसद् में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों, सभी केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, अधीनस्थ विधानों आदि का हिन्दी में अनुवाद करने के लिए उत्तरदायी है। यह खंड प्राधिकृत पाठ (केन्द्रीय विधि) अधिनियम, 1973 के अधीन यथाअपेक्षित संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजभाषाओं में केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों आदि के अनुवाद की व्यवस्था करने के लिए भी उत्तरदायी है। राजभाषा खंड हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन और प्रसार में लगे विभिन्न रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक संगठनों और ऐसे संगठनों को, जो सीधे विधिक साहित्य के प्रकाशन और विधि के क्षेत्र में हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के प्रसार में लगे हैं, सहायता अनुदान भी जारी करता है।

(ख) विधि साहित्य प्रकाशन प्रमुख रूप से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के प्रतिवेद्य निर्णयों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ प्रकाशित करने से संबद्ध है, जिसका उद्देश्य विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का संवर्धन करना है। इस संबंध में विधि साहित्य प्रकाशन हिन्दी में विधि साहित्य के विभिन्न प्रकाशन निकालता है। हिन्दी में उपलब्ध विधि साहित्य के व्यापक प्रचार एवं विक्रय हेतु यह विभिन्न राज्यों में प्रदर्शनियां भी लगाता है।

2. संगठनात्मक गठन

विधायी विभाग के संगठनात्मक गठन में सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, अपर विधायी परामर्शी, उप विधायी परामर्शी, सहायक विधायी परामर्शी तथा अन्य सहायक स्टाफ सम्मिलित हैं। प्रमुख विधानों के संबंध में विधायी प्रारूपण और अधीनस्थ विधान की संवीक्षा और विधीक्षा से संबंधित कार्य

विभिन्न विधायी समूहों में वितरित किए गए हैं। प्रत्येक विधायी समूह का प्रधान एक संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी अथवा अपर सचिव होता है जिसकी सहायता विभिन्न स्तरों पर अनेक विधायी परामर्शी करते हैं। विधायी विभाग के सचिव मुख्य संसदीय परामर्शी के रूप में कार्य करते हैं तथा अपर सचिव सभी अधीनस्थ विधानों के प्रभारी हैं। विधायी विभाग का संगठनात्मक चार्ट अनुबंध – VI पर है।

3. विधायन

विधायन, सरकार की नीति को स्पष्ट करने का एक मुख्य साधन है। इस संदर्भ में विधायी विभाग उन उद्देश्यों को पूरा करने में मुख्य भूमिका निभाता है, जिन्हें सरकार विभिन्न विधानों के माध्यम से सुनिश्चित करना चाहती है।

(2) विधायी विभाग न केवल प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों द्वारा आरंभ किए गए विधानों के प्रारूपण के लिए सेवाकारी विभाग के रूप में कार्य करता है अपितु यह उन विषयों की बाबत, जिनसे वह प्रशासनिक रूप से संबद्ध है, विधान भी बनाता है।

(3) विधायी विभाग प्रतिवर्ष केंद्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए वित्त विधेयक का प्रारूपण करता है। विधायी विभाग द्वारा यह कार्रवाई वित्त मंत्रालय द्वारा इसके समक्ष लाए गए बजट प्रस्तावों पर की जाती है। सुविधा की दृष्टि से विभिन्न विषय, जिन पर प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के आदेश पर विधायी विभाग में विधेयकों के प्रारूप तैयार किए जाते हैं, को व्यापक रूप से निम्नलिखित प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है:–

(क) संवैधानिक संशोधन;
(ख) आर्थिक और कारपोरेट विधियां;
(ग) सिविल प्रक्रिया और अन्य सामाजिक कल्याणकारी विधान;
(घ) अप्रचलित विधियों का निरसन; और
(ङ) विविध विधियां।

4. 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक की अवधि के दौरान, विधायी विभाग ने विधेयकों/अध्यादेशों के प्रारूपण के लिए विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से संसद् के सदनों में पुरःस्थापित किए जाने हेतु 84 मंत्रिमंडल टिप्पणियों/नए विधायी प्रस्तावों की जांच की। इस अवधि के दौरान 50 विधेयक संसद् के सदनों को अग्रेषित किए गए। इस अवधि के दौरान संसद् को अग्रेषित किए गए विधेयकों की सूची निम्नानुसार है:–

01.01.2021 से 31.12.2021 तक संसद् को अग्रेषित किए गए विधेयकों की सूची

क्र.सं.	विधेयकों के शीर्षक
1.	वित्त विधेयक, 2021
2.	जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021
3.	माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021
4.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी (राज्यक्षेत्र विधि) विशेष उपबंध दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2021
5.	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021
6.	अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) विधेयक, 2021
7.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2021

8.	खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021
9.	राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक, 2021
10.	किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2021
11.	नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक, 2021
12.	बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021
13.	विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2021
14.	विनियोग विधेयक, 2021
15.	जम्मू–कश्मीर विनियोग विधेयक, 2021
16.	जम्मू–कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2021
17.	पुडुचेरी विनियोग विधेयक, 2021
18.	पुडुचेरी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2021
19.	राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक विधेयक, 2021
20.	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021
21.	अंतर्देशीय जलयान विधेयक, 2021
22.	अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, 2021
23.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021
24.	विनियोग (सख्यांक 3) विधेयक, 2021
25.	विनियोग (सख्यांक 4) विधेयक, 2021
26.	नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2021
27.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग विधेयक, 2021
28.	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021
29.	साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021
30.	सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2021
31.	अधिकरण सुधार विधेयक, 2021
32.	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021
33.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021
34.	कराधान विधि संशोधन विधेयक, 2021
35.	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021
36.	राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021
37.	संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन) विधेयक, 2021
38.	कृषि विधि निरसन विधेयक, 2021
39.	उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन, 2021
40.	केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021

41.	दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2021
42.	स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2021
43.	विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2021
44.	जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021
45.	वन्य जीव संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2021
46.	राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021
47.	चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल, कंपनी सचिव अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2021
48.	मध्यस्थता विधेयक, 2021
49.	निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021
50.	बाल विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2021

5. 01.01.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि के दौरान प्रस्तुत किए गए और संसद् के समक्ष लंबित विधेयकों में से 49 विधेयक अधिनियम में अधिनियमित किए गए हैं तथा एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम भी अधिनियमित किया गया है। इस अवधि के दौरान अधिनियमित किए गए अधिनियमों की सूची निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	**अधिनियम का शीर्षक**
1.	महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 1)
2.	जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 2)
3.	माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 3)
4.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा संशोधन अधिनियम, 2021(2021 का अधिनियम सं. 4)
5.	विनियोग अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 5)
6.	बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 6)
7.	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 7)
8.	गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 8)
9.	जम्मू–कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 9)
10.	पुडुचेरी विनियोग विधेयक, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 10)
11.	पुडुचेरी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 11)
12.	जम्मू–कश्मीर विनियोग अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 12)
13.	वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 13)
14.	राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख–रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 14)
15.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 15)
16.	खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 16)
17.	राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 17)

18.	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 18)
19.	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 19)
20.	नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 20)
21.	फेक्टर विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 21)
22.	नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 22)
23.	किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 23)
24.	अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 24)
25.	अनिवार्य रक्षा सेवा अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 25)
26.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 26)
27.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 27)
28.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण आर्थिक विनियामक (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 28)
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 29)
30.	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 30)
31.	सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 31)
32.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 32)
33.	अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 33)
34.	कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 34)
35.	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 35)
36.	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 36)
37.	साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 37)
38.	संविधान (एक सौ सताईसवां संशोधन) अधिनियम, 2021
39.	राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 38)
40.	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 39)
41.	कृषि विधि निरसन अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 40)
42.	बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 41)
43.	सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 42)
44.	राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 43)

45.	उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 44)
46.	दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 45)
47.	केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 46)
48.	सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 47)
49.	स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 48)
50.	निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 49)

6. पूर्वोक्त अवधि के दौरान राष्ट्रपति द्वारा कुल दस अध्यादेशों को संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत को प्रख्यापित किया गया है:–

क्र.सं.	अध्यादेश
1.	जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का 1)
2.	अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021 (2021 का 2)
3.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का 3)
4.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अध्यादेश, 2021 (2021 का 4)
5.	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का 5)
6.	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का 6)
7.	अनिवार्य रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021 (2021 का 7)
8.	स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का 8)
9.	केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का 9)
10.	दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का 10)

7. अधीनस्थ विधान

1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक की अवधि के दौरान इस विभाग द्वारा 2034 सांविधिक नियमों, विनियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं की संवीक्षा और विधीक्षा की गई।

8. विधायी II अनुभाग

निर्वाचन विधि और निर्वाचन संबंधी सुधार

विधायी II, विधायी विभाग संसद, राज्य विधान मंडलों और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के संचालन से संबंधित निम्नलिखित अधिनियमों, इन अधिनियमों तथा इनके अधीन बनाए गए नियमों में संशोधन तथा उनसे संबंधित/प्रासंगिक मामलों से प्रशासनिक रूप से संबद्ध है :–

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

(ii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

(iii) राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952

(iv) परिसीमन अधिनियम, 2002

2. हमारे देश का निर्वाचन तंत्र, जिसे चुनावों का सर्वाधिक मत निर्णायक प्रणाली (फर्स्ट–पास्ट–दी–पोस्ट) भी कहा जाता है, ने सत्तर वर्ष पूरे कर लिए हैं। हमने इन सत्तर वर्षों की यात्रा (भारत गणराज्यों की स्थापना के बाद) को अत्यंत गौरव एवं सभी क्षेत्रों में अपार सफलता के साथ पूरा किया है। यह लाखों लोगों के निरंतर कठिन परिश्रम तथा निरन्तर संघर्ष का परिणाम है, जिन्होंने इस देश के वर्तमान तथा भविष्य को अपने खून–पसीने से सींचा है। निःसंदेह यह यात्रा इतनी सुगम नहीं थी तथा हमने इस अवधि में काफी अस्त–व्यस्तता एवं उथल–पुथल देखी है। इस अवधि में हमारे देश का राजनीतिक परिदृश्य तथा निवार्चन प्रक्रिया युगान्तरकारी बदलावों से गुजरे हैं। प्रत्येक चुनाव के साथ निर्वाचन प्रक्रिया तथा चुनाव प्रबंधन की जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। प्रत्येक मत अत्यधिक मूल्यवान सिद्ध होता जा रहा है। ऐसे परिवेश में निरपवाद रूप से आरोप–प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। कुछ बेईमान और आपराधिक तत्वों के आगमन से निर्बाध एवं निष्पक्ष चुनाव कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है।

3. ऐसे परिवेश में, जोकि निरंतर बदल रहा है, अनेक बार निर्वाचन विधियों में सुधार की आवश्यकता प्रतीत हुई है। चुनावों से प्राप्त अनुभवों, चुनाव आयोग की सिफारिशों, राजनीतिक पार्टियों सहित विभिन्न स्रोतों तथा सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रस्तावों द्वारा तथा विधान–मंडलों एवं विभिन्न सार्वजनिक निकायों के विचार–विमर्श से उत्तरोत्तर सरकारों ने समय–समय पर निर्वाचन संबंधी सुधार हेतु अनेक कदम उठाए हैं, फिर भी निर्वाचन संबंधी सुधारों हेतु एक व्यापक पैकेज को लागू करने की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता।

4. निर्वाचन कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 संसद् द्वारा अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम में निम्नलिखित परिकल्पना की गई है –

(क) निर्वाचक नामावली को आधार प्रणाली से जोड़ने से एक ही व्यक्ति के विभिन्न स्थानों पर एकाधिक नामांकन की आशंका पर अंकुश लगेगा;

(ख) निर्वाचक नामावली में नामांकन के लिए कई अर्हक तिथियां मतदाता आधार का विस्तार करेंगी और इसके परिणामस्वरूप निर्वाचकीय प्रक्रिया में पात्र मतदाताओं की अधिक भागीदारी होगी;

(ग) हमारे निर्वाचनों के संचालन के साथ–साथ लैंगिक समानता और समावेशिता की घोषित नीति के अनुरूप विधियों को लिंग तटस्थ बनाना; तथा

(घ) कतिपय उद्देश्यों आदि के लिए परिसर की आवश्यकता के संदर्भ में निर्वाचन के संचालन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।

9. निर्वाचन विधियों को अन्तर्वलित करने वाले न्यायालय मामले

विधायी विभाग विभिन्न निर्वाचन संबंधी विधियों का प्रशासनिक भारसाधक होने के नाते निर्वाचनों की वैधता तथा निर्वाचन विधियों संबंधी विभिन्न न्यायालय मामलों को भी देखता है। वर्ष 2021 के आरम्भ में निर्वाचन संबंधी विषयों पर उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में 194 मामले लम्बित थे। उक्त वर्ष के दौरान 27 नए मामले प्राप्त हुए थे, जिनके संबंध में पैरावार टिप्पणियां, प्रति शपथ–पत्र और समुचित अनुदेश संबंधित सरकारी वकील को संप्रेषित किए गए हैं। लम्बित मामलों की स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिए विशेष प्रयास किए गए तथा नई गणना के अनुसार 88 अतिरिक्त मामलों का निपटान हो गया है जिससे निपटाए गए कुल मामलों की संख्या 326 हो गई है। इस समय उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लगभग 133 मामले लम्बित हैं। सभी मामलों की प्रभावी रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है।

10. संसदीय कार्य का संचालन

(निर्वाचन विधियों से संबंधित)

वर्ष 2021–22 के दौरान, विधायी विभाग, जिसे विधि एवं न्याय मंत्रालय के संसदीय कार्य के समन्वयन/संचालन का कार्य दिया गया है, ने निम्नानुसार कार्य का निपटान किया है :

क्र.सं.	कारबार की मद	विधि और न्याय मंत्रालय के आंकड़े
1.	लोक सभा प्रश्न	198
2.	राज्य सभा प्रश्न	131
3.	लोक सभा में प्राइवेट सदस्यों के विधेयक	4
4.	राज्य सभा में प्राइवेट सदस्यों के विधेयक	7
5.	प्राइवेट सदस्यों के संकल्प	3
6.	लोक सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	–
7.	राज्य सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	–
8.	लोक सभा में अल्पावधि चर्चा	–
9.	शून्यकाल के दौरान उठाए गए मामले	15
10.	लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामले	16
11.	राज्य सभा में विशेष उल्लेख	3

11. भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, समावेशी, पारदर्शी, नैतिक और सुरक्षित निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए पिछले वर्षों में कई पहल की हैं। निम्नलिखित कुछ हाइलाइटस हैं। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पिछले 68 वर्षों के दौरान लोकसभा के लिए 17 आम निर्वाचनों और राज्य विधानसभाओं के 390 से अधिक निर्वाचनों के अलावा भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालयों के निर्वाचनों के माध्यम से लोकतंत्र के मार्ग को प्रशस्त किया है। जबसे भारत ने वैश्विक मानचित्र पर खुद को आर्थिक, परमाणु या आईटी प्रमुख के रूप में स्थापित किया है तब से भारत एक समृद्ध और जीवंत निर्वाचकीय लोकतंत्र की वैश्विक स्तर पर विशिष्ट और स्थिर पहचान रहा है।

भारत के संविधान के भाग XV के अनुच्छेद 324 से 329 में भारत निर्वाचन आयोग के कार्यों, जिम्मेदारियों, संरचना और शक्ति को सूचीबद्ध किया गया है, जो संसद् के निचले सदन, उच्च सदन और राज्य विधानसभाओं के नियमित आवधिक अंतराल पर निर्वाचन कराने के लिए आयोग के जनादेश का विस्तार करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 भारत निर्वाचन आयोग को निर्वाचकीय शक्तियां, कर्तव्य और कार्य प्रदान करता है, जबकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 14 में वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति से पहले एक नई लोकसभा के गठन के लिए निर्वाचन कराने का प्रावधान है। संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, भारत निर्वाचन आयोग 1951–52 से पहली लोकसभा के पहले आम निर्वाचनों के बाद से अब तक पूरी निर्वाचन प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक प्रबंधन कर रहा है निर्वाचनों की योजना बनाना, तैयार करना, संचालन करना, मतों की गिनती करना और परिणाम घोषित करना।

जबकि निर्वाचन लोकतंत्र की आधारशिला होता है, यह मतदाता ही होते हैं जो इसका सार होते हैं। भारत निर्वाचन आयोग का निरंतर प्रयास सभी मतदाताओं को सुविधा प्रदान करना और निर्वाचनों में उनकी भागीदारी को बढ़ाना है। इसके लिए, भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर बेहतर सुविधाएं, निर्वाचन कर्मचारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा निर्वाचन के दिन बेहतर मतदान अनुभव प्रदान करने में काफी प्रगति की है।

पिछले कुछ वर्षों में, महिलाओं, दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सुविधा देने के लिए कई पहल और नवीन उपाय अपनाए गए हैं जिनमें एएमएफ, रैंप, व्हीलचेयर और स्वयंसेवी सहायता, प्राथमिकता वाले मतदान, सभी महिला प्रबंधित मतदान केंद्र, सभी दिव्यांगजन प्रबंधित मतदान केंद्र शामिल हैं, और हाल ही में किए गए संशोधन जिसके द्वारा 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और कोविड पीड़ित/क्वारंटाइन किए गए लोगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह सब, एक लक्ष्य "कोई मतदाता पीछे न छूटे" को ध्यान में रखते हुए किया।

12. निर्वाचन आयोग के कार्य

स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों तथा निर्वाचन को संचालित करने वाली विधियों के अनुसार हमारे देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराए जा रहे हैं। संसद, राज्य विधान–मंडलों तथा भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन कराने की पूरी प्रक्रिया का संचालन, निर्देशन तथा नियंत्रण संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है।

(2) निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। प्रारंभ में निर्वाचन आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में यहां एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो निर्वाचन आयुक्त हैं। पहली बार, दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति 16 अक्टूबर, 1989 को की गई थी लेकिन उनका कार्यकाल संक्षिप्त, अर्थात् 01 जनवरी, 1990 तक ही रहा। बाद में, 1 अक्टूबर, 1993 को दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए। तब से बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग प्रचलन में है।

(3) मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मुख्य

निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1991 (1991 का 11) के अनुसार उनका कार्यकाल छह वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, उनका दर्जा व वेतन एवं अनुलाभ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होते हैं। उन्हें पद से हटाना भी केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति और उन्हीं आधारों पर संभव है।

(4) राजनीतिक दलों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29 क के अनुसार निर्वाचन आयोग में पंजीकृत किया जाता है। आवधिक अंतरालों पर संगठनात्मक चुनाव कराने पर बल देकर निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों में दल के भीतर लोकतंत्र सुनिश्चित करता है। निर्वाचन आयोग के साथ पंजीकृत राजनीतिक दलों को आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार आम चुनावों में उनके कार्य निष्पादन के आधार पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की जाती है।

(5) संसद् तथा राज्य विधान–मंडलों के निर्वाचन सुचारू रूप से कराने के लिए निर्वाचन आयोग का अपना स्वतंत्र सचिवालय है। विधायी विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया गया है ताकि यह सरकारी स्वीकृतियां उपलब्ध करा सके।

(6) 1950 में निर्वाचन संबंधी व्यय के मामले में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके यह निर्णय लिया गया था कि विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन नामावलियां तैयार करने में होने वाला व्यय केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाएगा। इसके अलावा, लोक सभा तथा राज्य विधान सभा निर्वाचन कराने का व्यय केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और यदि लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन साथ–साथ होते हैं तो व्यय केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाएगा। प्रारंभिक व्यय संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर केंद्र सरकार के हिस्से की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

13. निर्वाचक नामावली डेटा–2022 (नामावली प्रारूप)

निम्न तालिका में निर्वाचक नामावली प्रारूप डेटा 2022 सम्मिलित है।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ड्राफ्ट 2022 में मतदाता				फोटो नामावली में फोटो की कुल संख्या	पीईआर+ (%)	जारी किए गए ईपीआईसी की कुल संख्या	ईपीआईसी # (%)
		पुरूष	महिला	ट्रांसजेंडर	कुल				
1	आंध्र प्रदेश	19953184	20466182	4041	40423407	40423407	100	40415322	99.98
2	अरुणाचल प्रदेश	397357	408948		806305	806305	100	806305	100
3	असम	11825381	11577452		23402833	23302201	99.57	23302201	99.57
4	बिहार	39579912	35759104	2700	75341716	75341716	100	75341716	100
5	छतीसगढ़	9672437	9671952		19344389	19307635	99.81	19307635	99.81
6	गोवा	555276	584998		1140274	1140274	100	1140160	99.99
7	गुजरात	24560982	22795249		47356231	47356231	100	47356231	100
8	हरियाणा	10141818	8859593		19001411	19001411	100	19001411	100

9	हिमाचल प्रदेश	2687533	2627249		5314782	5314782	100	5314782	100
10	झारखंड	12304529	11526201		23830730	23830730	100	23830730	100
11	कर्नाटक	26164016	25747075		51911091	51911091	100	51909066	100
12	केरल	13272098	14150863	275	27423236	27423236	100	27423236	100
13	मध्य प्रदेश	27541682	25550723	1324	53093729	53093729	100	53093729	100
14	महाराष्ट्र	46849525	42789093	2573	89641191	89560514	99.91	88780636	99.04
15	मणिपुर	955657	1012655	164	1968476	1968476	100	1936980	98.4
16	मेघालय	1005613	1030295	1	2035909	2035909	100	2035909	100
17	मिजोरम	388195	410032		798227	798227	100	798227	100
18	नागालैंड	617618	615543		1233161	1233161	100	1230078	99.75
19	उड़ीसा	16535379	15838991	3013	32377383	32254349	99.62	32267300	99.66
20	पंजाब	11015475	9902354	670	20918499	20918499	100	20918499	100
21	राजस्थान	25812560	23707493		49520053	49520053	100	49520053	100
22	सिक्किम	223297	216831	3	440131	440131	100	440131	100
23	तमिलनाडु	30917667	31969522	7342	62894531	62894531	100	62894531	100
24	तेलंगाना	15257690	15097292	1683	30356665	30356665	100	30353629	99.99
25	त्रिपुरा	1357594	1327020		2684614	2684614	100	2684614	100
26	उत्तराखंड	4087018	3758732	251	7846001	7846001	100	7846001	100
27	उत्तर प्रदेश	79248011	67887454	7833	147143298	147143298	100	147143298	100
28	पश्चिम बंगाल	37331657	35900073	1537	73233267	73233267	100	73233267	100
29	अंडमान एवं निकोबार	162009	146492	11	308512	308450	99.98	307988	99.83
30	चंडीगढ	330766	299558		630324	630324	100	630324	100
31	दादरा और नगर हवेली	195915	181620		377535	377535	100	377535	100
32	जम्मू और कश्मीर*	4037993	3739951		7777944	7529828	96.81	7228043	92.93
33	लद्दाख	87172	85740		172912	172912	100	169817	98.21
34	लक्षद्वीप	28123	27400		55523	55523	100	55523	100
35	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	8088031	6707518		14795549	14795549	100	14795549	100
36	पुदुचेरी	469083	528043	118	997244	997244	100	997244	100
	कुलः	483658253	452905291	33539	936597083	935478370	99.88	933255538	99.64

* वर्ष 2019 का डेटा, जम्मू और कश्मीर में 2020 और 2021 से कोई संक्षिप्त परिशोधन नहीं हुआ।

पीईआर–फोटो निर्वाचक नामावली

ईपीआईसी– निर्वाचक फोटो पहचान पत्र

& वर्ष 2019 का डेटा, जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड में 2020 से कोई संक्षिप्त परिशोधन नहीं हुआ। (कॉलम 5 से 8 तक)

वर्ष 2020 के आंकड़ों में विलय = दादरा और नगर हवेली 250453 + दमन और दीव 116267 = मतदाताओं की कुल संख्या 366720 (कॉलम 5 से 8 तक)

14. मतदान केन्द्रों पर आश्वासित न्यूनतम सुविधाएं (ए एम एफ)

आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं कि प्रत्येक मतदान केन्द्र का भूतल पर होना आवश्यक है और मतदान केन्द्र भवन तक जाने वाली सड़क तक पहुंच होगी और वह पेयजल, प्रतीक्षा शेड, जल सुविधा सहित शौचालय, प्रकाश के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं, दिव्यांगजन निर्वाचकों के लिए उचित ढाल के रैंप और मानक मतदान कक्ष आदि जैसी आश्वासित न्यूनतम सुविधाओं (एएमएफ) से सुसज्जित है। इसे सैनिटाइजरों, थर्मल स्कैनरों, साबुन आदि जैसे कोविड–19 को कम करने वाले ऐसे उपायों से भी अनुपूरित किया जाएगा जो समय–समय पर अधिसूचित किए जाएं।

15. महिलाओं के लिए सुविधा

महिला मतदाताओं तक पहुंचने के उद्देश्य से, 'सर्व महिला प्रबंधित मतदान केन्द्रो' निर्वाचन प्रक्रिया में लैंगिक समानता और महिलाओं की अधिक प्रतिभागिता के प्रति एक प्रतिबद्ध पहल है। ये ऐसे मतदान केन्द्र हैं जिन्हें ऐसे प्रत्येत निर्वाचन क्षेत्र में स्थापित किया जाता है जिनमें सुरक्षा समेत सभी महिला कर्मचारिवृंद भी होते हैं। गत वर्षों में मतदान केन्द्रों पर महिलाओं के लिए पृथक् कतारें, गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्विकता आधारित मतदान, कम महिला मतदाता वाले मतदान केन्द्रों की पहचान पर आधारित लक्ष्यित व्यवधान जैसी पहलें आरंभ की गई हैं और इनका महिला मतदाता उपस्थिति में बहुत ही प्रभावी रूप से योगदान रहा है।

16. दिव्यांग जनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं

सभी मतदान केन्द्र भूतल पर अवस्थित हैं और व्हील चेयरों वाले दिव्यांग निर्वाचकों की सुविधा के लिए उचित ढाल का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, दिव्यांगजन मतदाताओं को लक्ष्यित और आवश्यकता–आधारित सुविधा प्रदान करने के लिए, आयोग ने यह निदेश दिया है कि सभा निर्वाचनक्षेत्र में सभी दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों की पहचान की जाए और उन्हें मतदान दिवस पर उनके अपने–अपने मतदान केन्द्रों तथा सहज और सुविधाजनक मतदान अनुभव के लिए की गई आवश्यक निर्योग्यता–विनिर्दिष्ट व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएं। पहचान किए गए दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिक निर्वाचकों की सहायता रिटर्निंग आफिसर/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त स्वंयसेवियों द्वारा की जाएगी। मतदान केन्द्रों पर दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिक निर्वाचकों के लिए विशेष सुविधा प्रदान की जाएगी। आयोग ने सीईओ को निदेश दिया है कि मतदान के दिन हर एक मतदान केन्द्र में दिव्यांगजन निर्वाचकों और वरिष्ठ नागरिक निर्वाचकों के लिए उचित परिवहन सुविधा होनी चाहिए। दिव्यांगजन निर्वाचक और वरिष्ठ नागरिक निर्वाचकों को मतदान के दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए निःशुल्क पास प्रदान किए जाएंगे।

17. अनुपस्थिति मतपत्र

कोविड–19 के दौरान निर्वाचनों के लिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा (60) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग की अधिसचूना के अनुसार, 80 वर्ष से ऊपर की आयु के निर्वाचकों, दिव्यांगजनों और कोविड–19 के कारण कॉरंटाइन हुए निर्वाचकों को डाक मतपत्र जारी करने के लिए अनुदेश जारी किए गए थे। विधि और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना तारीख 22–10–2019 और 19–06–2020 द्वारा निर्वाचन संचालन नियम, 1061 का नियम 27क का भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर संशोधन किया गया था जिससे अनुपस्थित मतदाताओं को डाक मतपत्र द्वारा मत डालने के लिए समर्थ बनाया जा सके। अनुपस्थित मतदाताओं की परिभाषा का कोविड–19 रोगियों को समायोजित करने के लिए विस्तार किया गया था। अब, अनुपस्थित मतदाता को निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 27क के खंड (कक) में परिभाषित किया गया है और इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति भी जो आवश्यक सेवाओं में नियोजित हैं, वरिष्ठ नागरिक दिव्यांगजन और सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कोविड–19 संदिग्ध या पीडित व्यक्ति सम्मिलित हैं।

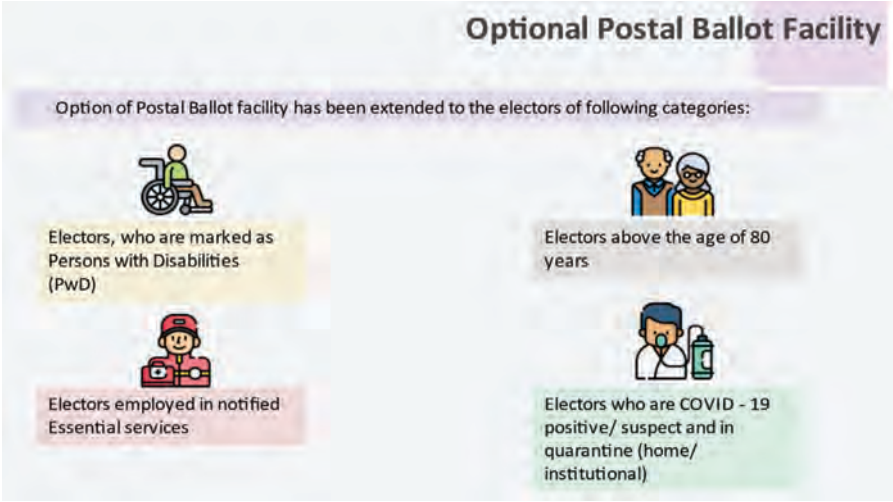

18. युवा मतदाताओं का अभ्यावेशन नामांकन

निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021, 18 वर्ष की आयु मतदाताओं के अभ्यावेशन के लिए विद्यमान तारीख 1 जनवरी के अतिरिक्त तारीख 1 अप्रैल, तारीख 1 जुलाई और तारीख 1 अक्तूबर को अर्हक तारीखों के रूप में अभिहित करने के लिए भी है। पूर्व में, केवल ऐसे मतदाताओं को जो प्रत्येक वर्ष की तारीख 1 जनवरी को या उससे पूर्व 18 वर्ष के हो गए हैं वे अपने आप को मतदाताओं के रूप में रजिस्टर करवाने के लिए अनुज्ञात किए गए थे।

19. व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन में सहभागिता (एस वी ई ई पी)

''कोई मतदाता छूट न जाए'' के आमुख पर कार्य करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग ने व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन में सहभागिता के माध्यम से विश्व के विशालतम लोकतंत्र में सहभागिता, समावेशी, प्रलोभन रहित और सुगम्य निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए अनवरत रूप से प्रयासरत है इसका तात्पर्य निर्वाचक साक्षरता क्लबों, वेब रेडियो हेलो, मतदाता, राष्ट्रीय मतदाता दिवस का राष्ट्रव्यापी समारोह जैसी नूतन पहलों के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंचने में और मतदाताओं की जन गतिशीलता है। महामारी की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मतदाता की जागरूकता में वृद्धि करने के लिए और निर्वाचनों के दौरान अनिवार्य सुरक्षा

नवाचारों को प्रचारित करने के लिए विशेष आउट रीच गतिविधियों को क्रियान्वित किया जा रहा है। सभी आउटरीच गतिविधियों अर्थात् दूरदर्शन, प्रिन्ट, डिजिटल मीडिया और अन्य मीडिया यानों के लिए सम्पर्क रहित और डिजिटल माध्यमों का मतदाता शिक्षा, प्रेरणा तथा सुविधा के लिए समग्र 360 डिग्री संसूचना के भाग के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

कुछ अन्य नई पहलें जिनमें नए रजिस्ट्रीकृत मतदाताओं के लिए ईपीआईसी किट, प्रत्येक परिवार के लिए पाकेट साइज मतदाता गाइड मतदान केन्द्र का संसूचना का फोकल बिन्दु के रूप में होना, तथा प्रत्येक बूथ पर न्यूनतम स्तर की स्वीप गतिविधियां हैं। सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों/डीईओ को निदेश दिए गए हैं कि वे नए रजिस्ट्रीकृत निर्वाचको को यह ईपीआईसी स्वीप किट सौपें/ परिदत्त /कुरियर करें जिसमें मतदाता गाइड और मतदाता शपथ के साथ निर्वाचक के लिए व्यक्तिगत पत्र अन्तर्विष्ट हो। इसके अतिरिक्त, स्वीप रणनीति के लिए बूथ केन्द्र बिन्दु होने के कारण, आयोग ने राज्यों को बूथ स्तरीय कार्रवाई योजना को मजबूत बनाने और सभी मतदाताओं को सूचित करने एवं शिक्षित करने के लिए स्वीप गतिविधियों को न्यूनतम स्तर पर संचालित करने के लिए राज्यों को निदेश दिया है। इसके अंतर्गत सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सभी मतदान केन्द्रों और भीड़ वाले अवस्थानों पर ईवीएम, वीवीपीएटी, मतदाता रजिस्ट्रीकरण, नैतिक मतदान और आईटीएप के बारे में स्पष्टीकारक सूचना संप्रर्दशन भी हैं। मतदान केन्द्रों को सज्जा के न्यूनतम स्तर के माध्यम से आकर्षक रूप दिया जाएगा। कम मतदाता उपस्थित वाले मतदान केन्द्रों की कोई "मतदाता छूट न जाए" के उद्देश्य को पूरा करने के लिए विश्लेषित कम उपस्थिति और नियोजित लक्ष्यित व्यवधानों के कारणों के साथ पहचान की गई है। राज्यों में मतदाता सुविधा केन्द्र मतदाताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए सक्रिय होंगे। इसके अतिरिक्त, मतदाता हेल्प लाइन नम्बर 1950 और मतदाता हेल्प लाइन एप मतदाता को प्रश्नों का भी जवाब देगा। मतदाताओं को निर्वाचक नामावलियों में उनके नामों का सत्यापन करने के लिए समर्थ बनाने हेतु एसएमएस सुविधा 1950 पर उपलब्ध है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के आपराधिक पूर्ववृत्त मतदाताओं को उपलब्ध कराए जाएं। इस संबंध में, सूचित तथा नैतिक मतदान को प्रोत्साहन देने के लिए मतदाताओं में जागृति पैदा करने हेतु एक समर्पित मल्टी मीडिया अभियान का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, कोविड–19 लहर के आरंभ होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, कोविड सुरक्षित निर्वाचनों और निर्वाचनों के दौरान कोविड समुचित व्यवहार के लिए मतदाताओं को सूचित करने और शिक्षित बनाने के लिए स्वीप गतिविधियों की योजना बनाई गई है।

20. कोविड–19 मार्गदर्शी सिद्धांत और कोविड–सुरक्षित निर्वाचन

कोविड–19 के अभूतपूर्व भीषण आक्रमण का संपूर्ण विश्व में हुए निर्वाचनों पर विनाशकारी प्रभाव रहा था। भारत निर्वाचन आयोग ने कठिन परिस्थितियों का सामना किया है कि नागरिकों के मताधिकार का प्रयोग करने और उनके स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के बीच कैसे ठीक सतुलंन बनाया जाएं। भारत के संविधान के अधीन आदेश का आदर करने के लिए, भारत निर्वाचन आयोग ने कोविड–19 के दौरान निर्वाचनों को संचालित करने का विनिश्चय किया और सावधानियों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत विरचित किए हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तारीख 21 अगस्त, 2020 को जारी निर्वाचनों के लिए कोविड–19 संबद्ध सावधानियों के लिए इन मार्गदर्शी सिद्धांतों और अनुदेशों के अंतर्गत निर्वाचनों का पहलू आता है। इनके अंतर्गत साधारण अनुदेश, अभ्यर्थी नामनिर्देशन के लिए निर्वाचन कर्मचारिवृन्द का प्रशिक्षण मतदान केन्द्र व्यवस्थाएं निर्वाचन सामग्री और मतदान केन्द्रों के लिए कोविड–19 किट और अभियान तथा मत गणना के लिए सुरक्षित कक्ष, डाक पत्र सम्मिलित हैं।

भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 फरवरी, 2021 को आदेश जारी किए थे कि सभी निर्वाचन पदाधिकारियों और कर्मचारियों को अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ता के रूप में माना जाए और उनका कोविड–19 का टीकाकरण किया जाए। आयोग ने राज्य में जलवायु परिस्थितियों, शैक्षणिक कैलेंडर, बोर्ड की परीक्षाओं, मुख्य उत्सवों, विद्यमान कानून और व्यवस्था की दशा, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की उपलब्धता, बलों के संचलन, परिवहन के आवश्यक समय और उनका समय पर परिनियोजन तथा अन्य सुसंगत जमीनी वास्तविकताओं का गहन मूल्यांकन जैसे सभी सुसंगत पहलुओं पर विचार करने के लिए अनुसूचियां तैयार की थी। कोविड–19 को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने सभी सभा निर्वाचन क्षेत्रों में 1 घंटे तक मतदान समय को बढ़ाने का भी विनिश्चय किया था।

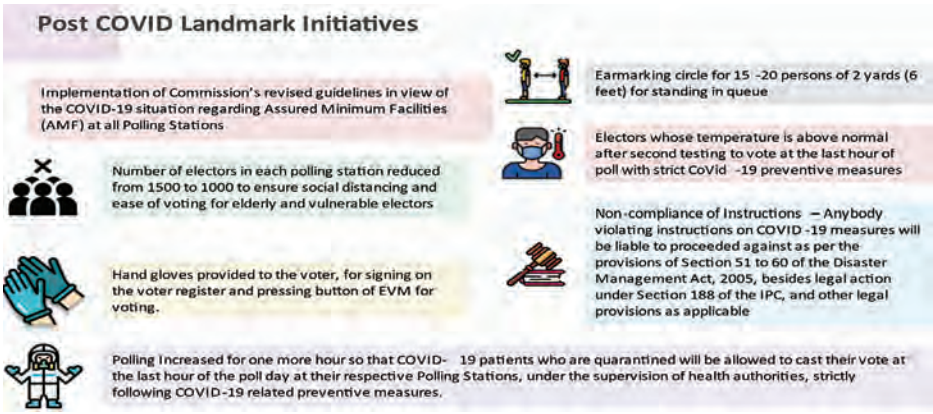

21. सूचना प्रौधोगिकी का उपयोग

आयोग ने बृहत्तर नागरिक भागीदारी और पारदर्शिता की शुरूआत करने के लिए आईटी एप्लीनकेशन के उपयोग को बढ़ावा दिया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को उसके स्मार्ट फोन का उपयोग करके फोटो या वीडियो क्लिक करने के लिए उसे सशक्त करके आदर्श आचार संहिता/व्यय के उल्लंघन का समय स्टाम्पित साक्षिक सबूत नागरिकों द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों को फाइल करने के लिए सीविजिल एप्लीकेशन जैसी आईटी एप्लीकेशन सम्मिलित हैं। एप्लींकेशन जीआईएस प्रौद्योगिकी पर आधारित है और आटो लोकेशन की अनूठी विशेषता उचित रूप से ऐसी सही जानकारी उपलब्ध कराती है जिस पर घटना के ठीक स्थान के लिए दिशानिर्देश देने तथा त्वरित कार्रवाई करने के लिए उड़न दस्तों द्वारा भरोसा किया जा सकता है। यह एप प्राधिकारियों द्वारा त्वरित और प्रभावी कार्रवाई को प्राथमिकता देता है और 100 मिनट के अंदर प्रास्थिति रिपोर्ट का वचन देता है। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर तथा एपल एप स्टोर दानों पर उपलब्ध है।

नागरिक, मतदाता पहचान–पत्र के लिए आवेदन करना, मतदाता पहचानपत्र में शुद्धियों के लिए आनलाइन आवेदन करना, मतदान बूथों, सभा निर्वाचन क्षेत्र और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ब्यौरे देखना और मतदान केन्द्र स्तरीय अधिकारी मतदाता हेल्पलाइन एप का उपयोग करके अन्य सेवाओं में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के संपर्क ब्यौरे प्राप्त करना जैसी विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और उन तक पहुंच सकते हैं। एप्लीकेशन गूगल प्ले एवं एपल स्टोर दोनों पर उपलब्ध है।

'अपने अभ्यर्थी को जानिए' एप, प्रत्येक अभ्यर्थी के, उनके शपथ पत्रों में दिए गए अर्हता, कार्य अनुभव, आस्तियों जिनमें अभ्यर्थियों के आपराधिक पूर्ववृत्त, यदि कोई हो, भी हैं, जैसे ब्यौरों की जांच करने के लिए भी निर्वाचकों के लिए उपलब्ध होगा।

अन्य एप्लीकेशनों में सुविधा पोर्टल भी है जो अनुज्ञाओं के लिए आन लाइन नामनिर्देशनों को फाइल करने के लिए, जिनमें अभ्यर्थी का आन लाइन नामनिर्देशन और शपथ–पत्र फाइल करना भी है और अभ्यर्थी अनुज्ञा माड्यूल के लिए अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करता है जो अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों के किसी भी प्रतिनिधि को सुविधा पोर्टल के माध्यम से बैठकों, रैलियों, लाउड स्पीकरों, अस्थायी कार्यालयों तथा अन्य के लिए आन लाइन आवेदन करने के लिए अनुज्ञात करता है।

कोविड–19 को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने निदेश दिया है कि बैठकों, रैलियों के लिए सार्वजनिक स्थलों का आवंटन यावत साध्य सुविधा एपस का प्रयोग करके किया जाना चाहिए। आवेदन गूगल प्ले स्टोर से नामनिर्देशन तथा अनुज्ञा प्रास्थिति को खोजने हेतु डाउन लोड करने तथा प्रयोग करने के लिए अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों/अभिकर्त्ताओं के संबंध में निर्वाचनों के दौरान उपलब्ध होगा। शपथ–पत्र पोर्टल निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की, उनके प्रोफाइल, नामनिर्देशन प्रास्थिति के साथ पूर्ण सूची को उपलब्ध कराता है और शपथपत्र सार्वजनिक अवलोकन के लिए उपलब्ध होंगे। सेवा मतदाता के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से संप्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली (ईटीपीबीएस) सेवा मतदाताओं को इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से निरंक डाक मतपत्र पारेषित करेगा। तब सेवा मतदाता अपना स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना मत भेज सकते हैं। पीडब्ल्यू डी एप दिव्यांगजनों को सुविधा प्रदान करने के लिए एक साधन है। दिव्यांगजन निर्वाचक इस एप का प्रयोग स्वयं को दिव्यांगजन के रूप में चिन्हित करने के लिए कर सकते हैं, नए रजिस्ट्रीकरण, प्रवास, ईपीआईसी ब्यौरों में सुधार के लिए आवदेन कर सकते हैं और व्हील चेयरों आदि के लिए अनुरोध कर सकते हैं। यह नेत्रहीनता तथा श्रवण निःशक्ताओं वाले मतदाताओं के लिए मोबाइल फोनों की एकसेसबिलिटी फीचरों का उपयोग करता है। अन्य ऐपों में मतदाता उपस्थिति एप और एनकोर काउन्टिग एप तथा ईसीएल की परिणाम वेबसाइट भी सम्मिलित हैं।

22. निर्वाचन सुधार

22.1 ईपीआईसी और आधार डाटाबेस को लिंक करना

हाल ही में पारित निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021, वर्ष 1950 और 1951 के दोनों लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमों का संशोधन करता है। इसके उपबंधों में से एक उपबंध निर्वाचन नामावली आंकड़ा को आधार से, विशिष्ट पहचान संख्या से लिंक करने के लिए विधिक कार्य ढांचा सृजित करता है। इसका अभिप्राय जाली मतदाताओं, मृत मतदाताओं, विदेशी व्यक्तियों को, जिनको गलती से मतदाताओं के रूप में सम्मिलित किया गया है और ऐसे मतदाताओं को भी, जिन्हें एक निर्वाचन क्षेत्र से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यावेशित किया गया है, निकालना है। नया नियम, नए ईपीआईसी के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति से यह पूछने के लिए निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सशक्त करता है कि वे पहचान सिद्ध करने के प्रयोजन के लिए अपना आधार संख्या प्रस्तुत करे। वे रजिस्ट्रीकृत मतदाताओं से अनुलिपिकरण की जांच करने के लिए आधार संख्या की भी मांग कर सकते हैं।

22.2 अभ्यर्थियों के व्यय की सीमा में अभिवृद्धि

भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर, विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिसूचना तारीख 6 जनवरी, 2022 द्वारा अभ्यर्थियों के व्ययों की सीमा को बढ़ा दिया है। ऐसी पुनरीक्षित सीमाओं के अनुसार, जो इन पांच निर्वाचनों से संबंधित है, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में सभा निर्वाचनों के लिए अभ्यर्थी के व्यय की सीमा अब 40 लाख रुपए और गोवा तथा मणिपुर राज्यों में यह सीमा 28 लाख रुपए है।

23. आपराधिक मामले वाले अभ्यर्थी

आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अभियान अवधि के दौरान तीन अवसरों पर इस संबंध में समाचारपत्रों और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से जानकारी प्रकाशित करें। ऐसे किसी राजनैतिक दल से, जो आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अभ्यर्थियों को खड़ा करता है, से भी अपेक्षा की जाती है कि वे तीनों अवसरों पर अपने अभ्यर्थियों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी अपनी वेबसाइट पर तथा समाचारपत्रों और टेलीविजन चैनलों दोनों पर प्रकाशित कराएं। आयोग ने अपने पत्र सं. 3/4/2019/एसडीआर/खंड–4 तारीख 16 सितंबर, 2020 द्वारा यह निदेश दिया है कि विनिर्दिष्ट अवधि निम्नलिखित रीति में तीन ब्लॉकों में विनिश्चित की जाएगी, ताकि निर्वाचकों को ऐसे अभ्यर्थियों की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए पर्याप्त समय मिल सके :

क. वापस लेने की तारीख के पहले 4 दिनों के भीतर।
ख. अगले पांचवें से आठवें दिन के बीच।
ग. नौवें दिन से अभियान के अंतिम दिन तक (मतदान की तारीख से पूर्व दूसरा दिन)।

यह जानकारी "अपने अभ्यर्थी को जानिए" नामक ऐप पर भी उपलब्ध होगी।

यह 2011 की (रिट याचिका) (सिविल) सं. 536 में 2018 की अवमानना याचिका (सिविल) सं. 2192 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.02.2020 के अनुसरण में है।

राजनीतिक दलों (केंद्र और राज्य निर्वाचन स्तर पर) के लिए यह अनिवार्य है कि वे लंबित आपराधिक मामलों (अपराधों की प्रकृति और प्रासंगिक विवरणों सहित) के संबंध में विस्तृत जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें, जैसे कि क्या आरोप तय किए गए हैं, संबंधित न्यायालय, मामला संख्या आदि जिन्हें उम्मीदवारों के रूप में चुना गया है, साथ ही इस तरह के चयन के कारणों के साथ–साथ यह भी कि बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अन्य व्यक्तियों को उम्मीदवारों के रूप में क्यों नहीं चुना जा सकता है। चयन के कारण संबंधित उम्मीदवार की योग्यता, उपलब्धियों और योग्यता के संदर्भ में होंगे, न कि चुनावों में केवल ''जीतने की क्षमता''।

यह जानकारी इसमें भी प्रकाशित की जाएगी:

(क) एक स्थानीय समाचार पत्र और एक राष्ट्रीय समाचार पत्र;

(ख) फेसबुक और ट्विटर सहित राजनीतिक दल के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ये विवरण उम्मीदवार के चयन के 48 घंटों के भीतर प्रकाशित किए जाएंगे और न कि नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से दो सप्ताह पहले किए जाएंगे।

24. इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (ईवीएम) और मतदाता सत्यापनीय पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी)

(1) भारत में मतदान प्रणाली कई बदलावों से गुजरी है। 1952 और 1957 में लोकसभा के पहले दो आम चुनावों के दौरान, प्रत्येक उम्मीदवार को उम्मीदवार के चिन्ह के साथ एक अलग मतपेटी आवंटित की गई थी। मतपत्र पर उम्मीदवारों के नाम और चिन्ह मुद्रित नहीं थें और मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार के मतपेटी में एक पूर्व–मुद्रित मतपत्र डालना पड़ता था। इस प्रणाली ने अलग–अलग हितधारकों के मन में मतों के साथ छेड़छाड़, बूथ कैप्चरिंग और छल–कपट की आशंकाओं को प्रज्वलित किया और जल्द ही इसे बदल दिया गया। 1960–61 में, केरल और उड़ीसा में विधान सभाओं के मध्यावधि चुनावों के दौरान मतपत्र पर एक अंकन प्रणाली शुरू की गई थी और यह प्रणाली 1999 के लोकसभा चुनावों तक जारी रही।

(2) भारत निर्वाचन आयोग ने 1977 में मतदान प्रक्रिया में इलैक्ट्रॉनिक गैजेट के उपयोग की संभावना के बारे में सोचा। 1979 में, एक प्रोटो–टाइप विकसित किया गया था और इसके संचालन को 6 अगस्त, 1980 को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदर्शित किया गया था। देश में मतदान के लिए आधुनिक इलैक्ट्रॉनिक्स में उन्नति का अभिनव उपयोग रचनात्मकता को पूर्ण समर्थन प्रदान करता है, बड़े पैमाने पर भारतीय समाज की आविष्कारशीलता और अग्रणी कुशाग्रता तथा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में देश की छवि और प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करता है।

(3) ईवीएम का पहली बार प्रयोग मई 1982 में केरल में एक उप–चुनाव में हुआ। हालांकि, इसके उपयोग को निर्धारित करने वाले एक विशिष्ट कानून की अनुपस्थिति के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने उस चुनाव को रद्द कर दिया। परिणामस्वरूप, दिसंबर 1988 में संसद् द्वारा कानून में संशोधन किया गया और एक नई धारा 61ए को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में शामिल किया गया, जिससे भारत निर्वाचन आयोग को ईवीएम का उपयोग करने का अधिकार मिला। यह संशोधन 15 मार्च 1989 को लागू हुआ।

(4) 2004 में, लोकसभा के चुनाव के लिए सभी 543 संसदीय क्षेत्रों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। एक नई तकनीकी रूप से उन्नत मतदान प्रणाली ने मतपत्रों के उपयोग की पूर्ववर्ती मतदान पद्धति को पूरी तरह से बदल दिया। 2000 के बाद से, भारत ने 132 राज्य विधानसभाओं के चुनाव और लोकसभा के 4 आम चुनाव (2004, 2009, 2014 और 2019) हुए हैं, जहां वोट ईवीएम का उपयोग करके डाले और रिकॉर्ड किए गए थे।

24.1 तकनीकी विशेषज्ञ समिति

ईसीआई–ईवीएम का अनुमोदन 1990 में निर्वाचन सुधारों पर गोस्वामी समिति की पहल पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक तकनीकी विशेषज्ञ उपसमिति द्वारा किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष प्रो.एस.सम्पत, अध्यक्ष तकनीकी सलाहकार समिति, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा प्रो. पी.वी. इंदरसेन, जोकि तब दिल्ली आई.आई.टी. में थे तथा डॉ सी.राव कसारबाडा, निदेशक, इलैक्ट्रॉनिकी अनुसंधान एवं विकास केंद्र, त्रिवेंद्रम थे। आयोग ने दिसंबर, 2005 में दूसरी तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन किया जिसमें प्रो. पी.वी. इंदिरेसन, आईआईटी दिल्ली के प्रो. डी.टी. शाहनी और प्रो. ए.के. अग्रवाल चुनाव में वास्तविक उपयोग के लिए इन मशीनों को स्वीकार करने से पहले उन्नत ईवीएम (2006 के बाद ईवीएम) का मूल्यांकन करने के लिए शामिल थे। आयोग ईवीएम से संबंधित सभी तकनीकी मुद्दों पर तकनीकी विशेषज्ञों के एक समूह से परामर्श करता रहा है। नवंबर 2010 में, आयोग ने दो और विशेषज्ञों, अर्थात् प्रो डी.के. शर्मा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी मुंबई और प्रो रजत मूना, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग, आईटी कानपुर (अब, निदेशक आईआईटी भिलाई) को शामिल करके तकनीकी विशेषज्ञ समिति का विस्तार किया। आईआईटी दिल्ली के प्रो. डी.टी. शाहनी वर्तमान में तकनीकी विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष हैं।

24.2 लोकसभा के अगले आम चुनाव के लिए ईवीएम और वीवीपैट की खरीद

आयोग ने जुलाई 2020 में लोकसभा 2024 के अगले आम चुनाव की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 10.42 लाख बस, 6.97 लाख सीयू और 6.46 लाख वीवीपीएटीएस की खरीद के लिए विधि और न्याय मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था। भारत सरकार ने मार्च 2021 की 19 मार्च, 2021 को इसके लिए 2971.54 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की थी। मेसर्स भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और मेसर्स इलैक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ईवीएम और वीवीपीएटी के उक्त आदेश के उत्पादन का काम सौंपा गया है। ये मशीनें M3 मॉडल से संबंधित हैं और अत्यधिक उन्नत सुरक्षा और सुरक्षा सुविधाओं के साथ आती हैं।

25. विधायी III अनुभाग

समवर्ती सूची के अंतर्गत विधान

भारत सरकार (कार्य–आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–III–समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित विषयों के बाबत विधायी प्रस्तावों पर कार्रवाई करने से संबंधित कार्य इस विभाग को आबंटित किए गए हैं :–

(क) विवाह और विवाह–विच्छेद; शिशु और अप्राप्तवय; दत्ताकग्रहण, वसीयत; निर्वसीयत और उत्तराधिकार; अविभक्त कुटुंब और विभाजन;

(ख) कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति अंतरण (बेनामी संव्यवहारों को छोड़कर, विलेखों और दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण);

(ग) संविदाएं, किन्तु कृषि भूमि से संबंधित संविदाओं को छोड़कर;

(घ) अनुयोज्य दोष;

(ङ) न्यास और न्यासी, महाप्रशासक और शासकीय न्यासी;

(च) साक्ष्य और शपथ;

(छ) सिविल प्रक्रिया जिसमें परिसीमा और माध्यस्थम शामिल है;

(ज) पूर्त एवं धार्मिक विन्यास तथा धार्मिक संस्थान।

26. भारत के विधि आयोग की रिपोर्टें

स्वीय विधियों और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III (समवर्ती सूची) में वर्णित अन्य विषयों, जिनसे यह विभाग प्रशासनिक रूप से संबद्ध है, के संबंध में भारत के विधि आयोग की रिपोर्टों की केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है।

27. लाभ के पद पर संसद् की संयुक्त समिति

लाभ के पद पर संसद् की संयुक्त समिति, जिसका गठन प्रत्येक लोक सभा (द्वितीय लोक सभा से) के कार्यकाल के दौरान होता है, संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की अनुसूची में संशोधन करने के लिए भारत सरकार को सिफारिश करने की दृष्टि से भारत सरकार अथवा अन्य किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद, सांविधिक और गैर–सांविधिक की प्रकृति, स्वरूप और संयोजन के संबंध में निरंतर समीक्षा का दायित्व का निर्वहन करती है।

28. स्वीय विधियों और अन्य विषयों से संबंधित याचिकाएं और अन्य न्यायालय मामले

विधायी विभाग स्वीय विधियों और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III से संबंधित मामलों, जैसे भारतीय संविदा अधिनियम, 1872; भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872; भारतीय न्यास अधिनियम, 1882; संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882; विभाजन अधिनियम, 1893; सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; परिसीमन अधिनियम, 1963 आदि के साथ लाभ का पद सहित, का प्रशासनिक प्रभारी होने के नाते उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में विभिन्न याचिकाओं और अन्य अदालती मामले देखता है। 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 के दौरान 60 नए मामले प्राप्त हुए हैं। पैरावार टिप्पणियां, प्रति शपथपत्र और उचित अनुदेश, जैसा भी मामला हो, तैयार करके सरकारी वकील को दिए गए।

29. राज्यों के विधायी प्रस्ताव

संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत स्थित जो विषय विधायी विभाग को सौंपे गए हैं उनके संबंध में प्राप्त ऐसे विधायी प्रस्तावों जिनके लिए संविधान के अनुच्छेद 254 के खंड (2) के उपबंधों के आधार पर, राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है, की इस विभाग के द्वारा संवीक्षा की गई है। 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक की अवधि के दौरान, राज्य विधेयकों/अध्यादेशों से संबंधित 47 संदर्भों का परीक्षण किया गया था।

30. संसदीय कार्यों का आयोजन (स्वीय विधियों से संबंधित)

वर्ष 2021 के दौरान, विधायी III अनुभाग ने तारांकित तथा अतारांकित दोनों प्रकार के संसदीय प्रश्नों तथा अन्य विषयों से भी संबंधित कार्यों का निपटान किया। संसदीय संदर्भों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कार्य की मद	संख्या
1.	लोक सभा प्रश्न	19
2.	राज्य सभा प्रश्न	20
3.	गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयक	2
4.	सार्वजनिक महत्व के मामले	4

उपर्युक्त के अलावा, इस विभाग में गैर–सरकारी सदस्य के विधेयक तथा संकल्प से संबंधित संक्षिप्त टिप्पणी भी तैयार की गई। साथ ही, संसदीय प्रश्नों की हार्डकॉपी के साथ–साथ उसे इलैक्ट्रॉनिक रूप में भी भेजा गया।

31. विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान (आई.एल.डी.आर.)

विधायी प्रारूपण एक विशिष्ट कार्य है जिसमें प्रारूपण कौशल एवं विशेषज्ञता शामिल है। विधियों की गहन जानकारी तथा उनके नियमित अद्यतनीकरण के अतिरिक्त, विधि प्रारूपण में कौशल को बढ़ाने के लिए सतत् एवं निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के विधि प्रारूपण करने वाले अधिकारियों तथा विधि के छात्रों के लिए विधायी प्रारूपण में अभिरूचि और कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण की आवश्यकता होती है।

2. देश में विधायी प्रस्तावों से संबंधित कार्य करने वाले प्रशिक्षित अधिकारियों तथा साथ ही प्रशिक्षित विधायी परामर्शियों की उपलब्धता में वृद्धि करने की दृष्टि से जनवरी, 1989 में विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के एक खंड के रूप में विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान (आई.एल.डी.आर.) की स्थापना की गई।

3. आई.एल.डी.आर. प्रत्येक वर्ष विधायी प्रारूपण से संबंधित निम्नलिखित एक बुनियादी पाठ्यक्रम तथा एक मूल्यांकन पाठ्यक्रम का संचालन करता है:

(i) बुनियादी पाठ्यक्रम की अवधि तीन माह है तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मध्यम श्रेणी के विधि अधिकारियों के लिए है;

(ii) पंद्रह दिन की अवधि का मूल्यांकन पाठ्यक्रम केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मध्यम श्रेणी के अधिकारियों के लिए है;

(iii) कानून के विद्यार्थियों के लिए स्वैच्छिक इंटर्नशिप स्कीम। इस स्कीम का उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों के मन में विधायी प्रारूपण के कौशल के बारे में रूचि पैदा हो सके तथा वे विधायी विभाग की प्रकृति एवं कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। स्वैच्छिक इंटर्नशिप स्कीम चार से छह सप्ताह के लिए तीन वर्षीय एल.एल.बी. पाठ्यक्रम के तीसरे वर्ष के छात्रों अथवा पांच वर्षीय एल.एल.बी. पाठ्यक्रम के चौथे या पांचवें वर्ष के छात्रों के लिए तैयार किया गया है। यह स्कीम 2013 से चल रही है। कोविड–19 महामारी तथा सामाजिक दूरी के मानदंडों के कारण स्वैच्छिक इंटर्नशिप योजना को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया।

(iv) अब तक आई.एल.डी.आर. ने विधायी प्रारूपण पर 23 मूल्यांकन पाठ्यक्रम तथा 31 बुनियादी पाठ्यक्रम संचालित किए हैं। राज्य सरकारों के विधायी प्रस्तावों पर कार्य कर रहे कुल 344 अधिकारियों को बुनियादी पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षित किया गया तथा केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों के विधायी प्रारूपण से जुड़े 386 अधिकारी आई.एल.डी.आर. द्वारा चलाए गए मूल्यांकन पाठ्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा, स्वैच्छिक इंटर्नशिप स्कीम द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के 304 विद्यार्थी भी लाभान्वित हुए हैं।

4. केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबंधित/अधीनस्थ कार्यालयों के मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए विधायी प्रारूपण पर एक ऑनलाइन कैप्सूल पाठ्यक्रम का 23 जून, 2021 से 25 जून, 2021 तक तीन दिवसीय आयोजन किया गया था तथा इस पाठ्यक्रम में 29 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

5. राज्य सरकार/राज्य विधान सभाओं के अधिकारियों के लिए एक महीने का ऑनलाइन प्रशिक्षण 8 नवंबर, 2021 से 10 दिसंबर, 2021 तक आयोजित किया गया था तथा इस प्रशिक्षण से 40 प्रतिभागी लाभान्वित हुए थे।

32. ई–गवर्नेंस हेतु की गई पहलें

(i) कन्टेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क (सीएमएफ आधारित आधिकारिक वेबसाइट):

विधायी विभाग ने कन्टेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क (सीएमएफ) पर आधारित आधिकारिक वेबसाइट शुरू की है। विभाग की उक्तय सीएमएफ आधारित वेबसाइट को मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित किए जाने के पश्चात् 'सर्टिफाइड क्वॉलिटी वेबसाइट' (सीक्यूडब्ल्यू) प्रमाण पत्र जारी किया गया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित ओपन सोर्स कन्टेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, गाइडलाइन्स फॉर इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स (जीआईजीडब्ल्यू) के अनुकूल है।

(ii) ई–ऑफिस लाइट का कार्यान्वयन:

सुशासन के भाग के रूप में तथा सरकार की मिशन मोड परियोजनाओं के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में ट्रैकिंग करने के लिए ई–ऑफिस लाइट का कार्यान्वयन विधायी विभाग में आरंभ हो गया है।

(iii) विधायी विभाग में किसी भी संभावित साइबर हमले को विफल करने के लिए साइबर सुरक्षा निर्देश:

विभाग द्वारा साइबर हमलों से बचने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के समन्वय से सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित ई–गवर्नेंस नीति का अनुपालन किया जाता है। सरकार द्वारा समय–समय पर उपलब्ध कराए जाने वाले साइबर सुरक्षा संबंधी अनुदेश, विधायी विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को डाटा चोरी, हैकिंग और इस प्रकार के अन्य साइबर हमलों के प्रति जागरूक बनाने के लिए परिचालित किए जाते हैं ताकि उन अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन करके विभाग की वेबसाइट् को किसी भी संभावित साइबर हमले से बचाया जा सके तथा इसे सुरक्षित बनाया जा सके।

33. सूचना का अधिकार संबंधी आवेदन

आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 (2005 का 22) के अधिनियम के परिणाम स्वरूप, विधायी विभाग में 12 अगस्त, 2005 को आर.टी.आई. प्रकोष्ठ् का गठन किया गया, जिसमें एक अपीलीय प्राधिकारी, एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और एक केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी हैं। वर्तमान में श्री उदय कुमारा, संयुक्त सचिव; श्री पी.सी. मीणा, उप–सचिव तथा श्री वेद प्रकाश, अनुभाग अधिकारी क्रमशः अपीलीय प्राधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस विभाग ने विभाग की आधिकारिक वेबसाइट् पर "सूचना का अधिकार" शीर्षक के अधीन एक पृथक वेबपेज आरंभ किया है और इस विभाग से संबंधित अधिकतम सूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुरूप उसमें प्रसारित किया है जिससे कि उक्त अधिनियम के अधीन प्रकल्पित सूचना के स्वतः प्रकटन का उद्देश्य पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त, इस विभाग के अपीलीय प्राधिकारी और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के ई–मेल संपर्क पते राष्ट्रीय सूचना केंद्र प्रकोष्ठ के साथ समन्वय से सृजित किए गए हैं ताकि इस विभाग की वेबसाइट का उपयोग उक्त अधिनियम के उपबंधों का

उपयोग करने में जनता के लिए और अधिक अनुकूल बनाया जा सके। अपीलीय प्राधिकारी का ई–मेल संपर्क पता aa-rti-legis@nic.in है और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का संपर्क पता cpio-rti-legis@nic.in है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विभिन्न प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आवेदकों से प्राप्त आवेदनों की समुचित जांच की जाती है तथा विधायी विभाग की संबंधित प्रशासनिक यूनिट से उपलब्ध सूचना प्राप्त कर आवेदक को प्रदान किया जाता है। साथ ही, जिन आवेदनों की विषय–वस्तु केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों से संबंधित होती है उन्हें उक्त अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार संबंधित केंद्रीय मंत्रालय/विभाग में शीघ्र ही अंतरित कर दिया जाता है। इसके अलावा, प्रथम अपील के मामले में इसकी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निष्पक्षता से जांच की जाती है तथा विहित समय–सीमा के भीतर इसका निपटान कर दिया जाता है। 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए एक हजार दो सौ छियासी (1,286) आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार आवेदकों को उचित उत्तर देते हुए उनका शीघ्र निपटान किया गया था। इसी अवधि (1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक) के दौरान अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर पचासी (85) प्रथम अपीलों में से सभी पचासी (85) प्रथम अपीलों का उनके गुण–दोषों के आधार पर निपटान कर दिया गया है। आर.टी.आई. मामलों के निपटान से इस विभाग को दिसंबर 2021 तक आवेदन–शुल्क तथा फोटोकॉपी शुल्क के रूप में 2,944 रु की प्राप्ति हुई है।

34. शुद्धि अनुभाग

केंद्र तथा राज्यों की संहिताओं का रख–रखाव

शुद्धि अनुभाग विधि और न्याय मंत्रालय के अधिकारियों के प्रयोग हेतु भारत का संविधान और उसके अधीन जारी किए गए आदेशों, निर्वाचन विधि निर्देशिका, केंद्रीय अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति के अधिनियमों और राज्यों के अधिनियमों का रख–रखाव करता है। यह अनुभाग इंडिया कोड की मास्टर कॉपी का रख–रखाव करता है, जिसमें प्रभारी मंत्री, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग) के अधिकारियों तथा भारत सरकार के विधि अधिकारियों द्वारा संदर्भ हेतु अखिल भारतीय अनुप्रयोग के लिए अनिरसित केंद्रीय अधिनियम शामिल होते हैं। ये महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ हैं तथा इनका प्रयोग केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमों के संशोधित संस्करणों को प्रकाशित करने के लिए भी किया जाता है। केंद्रीय अधिनियमों का अद्यतनीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा वर्ष 2021 के चालू केंद्रीय अधिनियमों को इंडिया कोड की मास्टर कॉपी में अद्यतन कर दिया गया है।

उक्त अवधि के दौरान, इस अनुभाग ने विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर वर्ष 2021 के 10 केंद्रीय अध्यादेशों को अपलोड किया है। 'Documents' शीर्षक के अंतर्गत विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.legislative.gov.in पर वर्णक्रमानुसार तथा कालक्रमानुसार तरीके से भी केंद्रीय अधिनियमों की सूची को भी अपलोड किया गया है।

वर्ष 2021 में इस अनुभाग ने मुद्रण निदेशालय, प्रकाशन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://www.egazette.nic.in से संसद् के पचास अधिनियमों (एक वित्त अधिनियम तथा नौ विनियोजन अधिनियम सहित), एक संवैधानिक संशोधन (एक सौ पांचवां संशोधन) अधिनियम, 2021 तथा दस केंद्रीय अध्यादेशों की गजट कॉपी डाउनलोड की है। इस अनुभाग ने वर्ष 2021 में संसद् द्वारा पारित अधिनियमों का एक फोल्डर तैयार किया है तथा प्रमुख अधिनियमों की मास्टर कॉपी में सत्ताईस संशोधन अधिनियमों के संशोधनों को शामिल किया है। डाउनलोड किए गए अधिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के ब्योरे निम्नानुसार हैं:

केंद्रीय अधिनियमः

(क) विनियोजन अधिनियमों एवं वित्त अधिनियम को छोड़कर वर्ष 2021 में डाउनलोड किए गए मुख्य अधिनियमः

1. महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 1)
2. राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख–रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 14)
3. राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 (2021 का 17)
4. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2021 (2021 का 19)
5. नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021 (2021 का 20)
6. अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24)
7. अनिवार्य रक्षा सेवा अधिनियम, 2021 (2021 का 25)
8. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 29)
9. अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 (2021 का 33)

*संविधान का (एक सौ पांचवां संशोधन) अधिनियम, 2021

10. कृषि विधि निरसन अधिनियम, 2021(2021 का 40)
11. बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021(2021 का 41)
12. सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का 47)

(ख) 2021 में डाउनलोड किए गए संशोधित अधिनियम

1. जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 2)
2. माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 3)
3. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा संशोधन अधिनियम, 2021 (2021 का 4)
4. बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 6)
5. गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 8)
6. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 15)
7. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 (2021 का 16)
8. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 18)
9. फेक्टर विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 21)
10. नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 22)
11. किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2021 (2021 का 23)
12. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 26)

13. केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 27)
14. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 28)
15. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 30)
16. सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 31)
17. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 32)
18. कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 34)
19. साधारण बीमा कार बार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 2021 (2021 का 37)
20. राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 38)
21. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 39)
22. राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 43)
23. उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम, 2021 (2021 का 44)
24. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 45)
25. केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 46)
26. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 48)
27. निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 49)

(ग) 2021 में डाउनलोड किए गए संशोधित अध्यादेश

1. जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश, 2021
2. अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021
3. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2021
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अध्यादेश, 2021
5. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2021
6. होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2021
7. अनिवार्य रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021
8. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) अध्यादेश, 2021
9. केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021
10. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अध्यादेश, 2021

संसद् के अधिनियमों के आधार पर मुख्य अधिनियमों की मास्टर कॉपी में संशोधन कर दिए गए हैं। वर्ष 2021 के दौरान, प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा लागू किए गए उनके संबंधित अधिनियमों, उन्हें लागू करने की

तिथि तथा उनकी अधिसूचना संख्या की प्रविष्टि अधिनियमों की मास्टर कॉपी में प्रासंगिक स्थानों पर कर दी गई है।

राज्य अधिनियम

वर्ष 2021 के दौरान, इस अनुभाग को 8 राज्यों अर्थात् केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा तेलंगाना से कुल 72 राज्य अधिनियम तथा 66 अध्यादेश प्राप्त हुए हैं। सभी अधिनियमों तथा अध्यादेशों की प्रविष्टि संबंधित रजिस्टरों एवं फोल्डरों में कर दी गई है।

35. भारत संहिता अद्यतनीकरण यूनिट

प्रत्येक वर्ष विधान मंडल द्वारा अनेक विधायन (मुख्य अधिनियम तथा संशोधन अधिनियम दोनों) पारित किए जाते हैं तथा न्यायपालिका, अधिवक्ताओं और साथ–ही–साथ नागरिकों के लिए यह कठिन हो जाता है कि वे आवश्यकता होने पर प्रासंगिक एवं अद्यतन अधिनियमों का संदर्भ ले सकें। इस समस्या का समाधान यह हो सकता है कि एक वृहत्त रिपोजिटरी का निर्माण किया जाए जहां एक ही स्थान पर सभी अधिनियमों एवं संशोधनों को इकट्ठा रखा जाए जो सबके लिए उपलब्ध हो। एक केंद्रीय रिपोजिटरी बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जहां एक ही स्थान पर सभी अधिनियमों एवं समय–समय पर बनाए गए उनके अधीनस्थ विधायनों को रखा जाए जो समस्त हितधारकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो ताकि उन कानूनों को जनता, अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों आदि को आवश्यकता पड़ने पर अद्यतन रूप में उपलब्ध कराया जा सके तथा निजी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित अद्यतन कानूनों पर अपनी कॉपीराइट का दावा करते हुए जनता से भारी कीमत वसूल करके उनका शोषण करने पर रोक लगाया जा सके। वस्तुतः, इंटरनेट पर भारत संहिता उपलब्ध कराने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से भारत संहिता सूचना प्रणाली (आईसीआईएस) का निर्माण किया गया है जो कि एक वन स्टॉप डिजीटल रिपोजिटरी है जहां केंद्र व राज्य के सभी विधायनों के साथ–साथ उनके संबंधित अधीनस्थ विधायनों को इकट्ठा रखा गया है। सभी नागरिकों को कानूनी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य को सुनिश्चित करने तथा साथ–ही–साथ एक राष्ट्र–एक मंच के उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य विशेषताएं:

इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य यह है कि आम जनता, अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों तथा अन्य सभी इच्छुक पक्षकारों के आवश्यकतानुसार भारत के सभी अधिनियमों तथा विधायनों को नवीनतम तथा अद्यतन फार्मेट में वन स्टॉप रिपोजिटरी पर उपलब्ध कराया जा सके। इस प्रणाली से न केवल संबद्ध पूर्व दृष्टांतों तथा संशोधनों को ढूंढ़ने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी बल्कि अपनी रूचि के अनुसार किसी भी केंद्रीय या राज्यं के अधिनियम को अद्यतन रूप में पुनःप्राप्त करना प्रयोक्ता अनुकूल हो जाएगा, वह भी एक बटन दबाते ही। एक मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार किया गया है जिसके द्वारा कहीं से भी मोबाइल पर ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकेगी। इस प्रणाली से भारत में बने कानूनों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ेगी। इससे प्रभावी सूचना प्रबंध के रूप में भी मदद मिलेगी जिससे प्रशासनिक प्राधिकारियों के कार्य में सहायता मिलेगी तथा लोग डीजिटल फॉर्म में इसे आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।

इस रिपोजिटरी में केंद्र तथा राज्य के सभी अधिनियम शामिल हैं। यह एक केंद्रीय डाटाबेस रिपोजिटरी है जिसमें भारत में बने सभी कानून शामिल हैं। जब भी कोई नया अधिनियम या संशोधन अधिनियम पारित किया जाता है तथा अधीनस्थ विधायन बनाए जाते हैं, संबंधित प्राधिकारी को यह सुविधा प्रदान की गई है कि वे केंद्रीय रिपोजिटरी पर उसे अपलोड कर सकें।

भारत संहिता सूचना प्रणाली (आईसीआईएस) के अंतर्गत indiacode.nic.in वेबसाइट तैयार किया गया है जिस पर केंद्र तथा राज्य के सभी अधिनियमों के साथ–साथ उनके अधीनस्थ विधायन भी उपलब्ध हैं। केंद्र तथा राज्य के सभी अधिनियम धाराओं, अनुसूचियों, लघु शीर्षकों, अधिनियमन की तिथियों, आदि के संबंध में ब्योरे उपलब्ध कराएंगे तथा साथ–ही–साथ प्रत्येक अधिनियम में अति महत्वपूर्ण पाद टिप्पणियां उपलब्ध कराएंगे। खोजने की सुविधा निम्नलिखित क्षेत्रों में उपलब्ध कराई गई है:

1. अधिनियम का वर्ष
2. अधिनियम सं.
3. अधिनियमन की तिथि
4. लघु शीर्षक
5. मंत्रालय
6. विभाग

फ्री पाठ खोज भी उपलब्ध है।

ई–शासन के रूप में उठाये गए महत्वपूर्ण कदम

इस प्रणाली से कोई भी व्यक्ति विद्यमान अधिनियमनों को देख सकता है। साथ ही, केंद्र और राज्य के किसी भी अधिनियम तथा उनके अंतर्गत बनाए गए अधीनस्थ विधायनों को पुनःप्राप्त करने के लिए संबद्ध पूर्व दृष्टांतों और संशोधनों को ढूंढ़ने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जा रहा है। अद्यतन विधायी दस्तावेजों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को अत्यधिक प्रयोक्ता अनुकूल बनाया गया है तथा यह मात्र कुछ एक बटन दबाकर प्राप्त किया जा सकेगा।

भारत संहिता की वेबसाइट पर केंद्रीय अधिनियमों को अद्यतन करने और अपलोड करने की प्रक्रिया के रूप में 1838 से 2021 केंद्रीय अधिनियमों को अद्यतन और अपलोड कर दिया गया तथा 1834 से 1955 तक निरस्त अधिनियम भी अपलोड किए गए हैं। जहां तक अधीनस्थ विधायनों को अद्यतन और अपलोड करने का संबंध है, भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों से अद्यतन पाठ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है तथा कई मंत्रालयों और विभागों ने अपने अधीनस्थ विधानों को अपलोड कर दिया है।

भारत संहिता सूचना प्रणाली (आईसीआईएस) ई–शासन के रूप में की गई एक महत्वपूर्ण पहल है जिसमें हमारे इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में विद्यमान सभी केंद्रीय और राज्य अधिनियम एक स्थान पर उपलब्ध कराए गए हैं। अतः उपलब्ध अधिनियमों को राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर कानून निर्माताओं, न्यायपालिका, विद्वानों, विधि के छात्रों आदि द्वारा देखा जाता है। इस प्रकार, यह वेब पोर्टल दुनिया भर में देखा जाता है। भारत संहिता सूचना प्रणाली (आईसीआईएस) उन निजी प्रकाशकों के एकाधिकार को समाप्त करती है जो अपने प्रकाशनों द्वारा नागरिको के उनके अपने कानून पर कॉपीराइट का दावा कर सकते हैं।

36. मुद्रण अनुभाग

विधायी विभाग का मुद्रण अनुभाग नामतः मुद्रण–I और मुद्रण–II विधायन की प्रक्रिया के विभिन्न प्रक्रमों पर मुद्रण के कार्य से संबंधित हैं। इन दोनों अनुभागों के कार्यों में विधेयकों की पांडुलिपियों (जिसमें विषय–वस्तु और अनुबंध, जहां–जहां अपेक्षित हैं, को तैयार करना सम्मिलित है), अध्यादेशों, विनियमों, अनुकूलन आदेशों, भारत के संविधान के अधीन जारी किए गए आदेशों, परिसीमन आदेशों और अन्य कानूनी विलेखों को मुद्रणालय भेजने से पहले उनका संपादन करना शामिल है। मुद्रण अनुभाग विधेयकों के प्रूफ आदि की बहुल

प्रक्रमों पर जांच करते हैं तत्पश्चात् उसे अनुमोदन के उपरांत विधायी–। अनुभाग को भेज दिया जाता है जो उन्हें लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों को "लोक सभा/राज्य सभा में पुरःस्थापित किए जाने के लिए" मुद्रण के लिए अग्रेषित करता है। ऐसे विधेयकों को, जिन्हें अल्प–सूचना पर पुरःस्थापित किया जाना अपेक्षित होता है, मुद्रण अनुभागों द्वारा लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय की ओर से मुद्रित किया जाता है। तत्पश्चात्, विधेयकों की मुद्रित प्रतियां, विभिन्न प्रक्रमों पर जांची जाती हैं, जैसे "यथा पुरःस्थापित/पुरःस्थापित किए जाने वाले' प्रक्रम, "लोक सभा/राज्य सभा द्वारा यथा पारित' प्रक्रम, "दोनों सदनों से यथा पारित' प्रक्रम, ''अनुमति प्रति'' प्रक्रम, ''हस्ताक्षर प्रति'' प्रक्रम और अंत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात्, अधिनियम को तैयार किया जाता है और उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाती है। उसके ठीक पश्चात् जनता में विक्रय करने के लिए ए–4 प्रक्रम की प्रति उसी रूप में पुनः प्रकाशन करने के लिए तैयार और संपादित की जाती है। ए–4 आकार के अधिनियमों के प्रूफों को पुनःसंवीक्षित किया जाता है और अंतिम मुद्रण के लिए मुद्रणालय को लौटाने से पूर्व अनुमोदित किया जाता है और अधिनियम की मुद्रित प्रति की अशुद्धियों के लिए जांच की जाती है और विक्रय के लिए जारी की जाती है।

2. भारत का संविधान, भारत संहिता, संसद् के अधिनियमों जैसे विभिन्न अन्य प्रकाशनों के संपादन और प्रूफ की जांच करने के अलावा मुद्रण अनुभागों ने विभाग की आवश्यकता के अनुसार केन्द्रीय अधिनियमों के संशोधित संस्करण को अद्यतन करने का भी कार्य किया है।

3. 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 की अवधि के दौरान विधायी विभाग के मुद्रण–I तथा मुद्रण–II अनुभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य किए गए :–

   (क) 89 विधेयकों, 49 राजपत्रों, 10 अध्यादेशों की पांडुलिपियों का संपादन किया गया तथा इनके प्रूफों की जांच और समीक्षा की गई; और

   (ख) 49 ए–4 अधिनियम तैयार किए गए हैं;

4. लॉकडाउन अवधि के दौरान, मुद्रण अनुभागों के कर्मचारियों ने अति आवश्यक और समयबद्ध रूप से कार्य को पूरा करने के लिए कार्यालय में उपस्थित रहें।

37. साधारण कानूनी नियम एवं आदेश (जी.एस.आर.ओ.) अनुभाग

1. साधारण कानूनी नियम एवं आदेश (जी.एस.आर.ओ.) अनुभाग एक संदर्भ अनुभाग है जो भारत संहिता में समाहित अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए नियमों, आदेशों आदि का संचालन करता है। इस विभाग को किए गए कार्य आवंटन के दौरान जी.एस.आर.ओ अनुभाग को निम्नलिखित कार्य दिए गए हैं–

   (i) भारत संहिता में समाहित अधिनियमों के अंतर्गत साधारण कानूनी नियमों एवं आदेशों का संकलन करना;

   (ii) विभिन्न केंद्रीय अधिनियमों के अंतर्गत जारी की जाने वाली वैसी अधिसूचनाओं की पांडुलिपि तैयार करना एवं उन्हें अंतिम रूप देना जिनका प्रकाशन संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा भाग–II के रूप में किया जाता है, जो इस विभाग के प्रकाशन अनुभाग द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले संशोधित संस्करणों के संबंध में भाग–I का सहयोगी प्रकाशन होता है।

2. किसी अधिनियमन के अधीन अधीनस्थ विधायन जिनमें सांविधिक नियम और आदेश, अधिसूचना आदि शामिल होते हैं, विधायी विभाग से विधीक्षा करवाने के उपरान्त उस मंत्रालय या विभाग के द्वारा जारी किया जाता है जो उस अधिनियम से प्रशासनिक रूप से संबंधित होता है। अधीनस्थ

विधायन पर संसदीय समिति की संस्तुतियों के अनुपालन में अधीनस्थ विधायन को अद्यतन रखने और जनता को उसे त्वरित गति से उपलब्ध करवाने की एक योजना बनाई गई थी। उक्त योजना के अन्तर्गत, प्रशासनिक मंत्रालयों से यह अपेक्षित है कि वे उनके द्वारा जारी किए गए नियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं की अद्यतन प्रतियों वाले फोल्डरों का रख–रखाव करें।

3. साधारण कानूनी नियम एवं आदेश अनुभाग (जी.एस.आर.ओ अनुभाग) द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा भाग–II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) तथा (ii) के अधीन जारी अधीनस्थ विधायनों से संबंधित गजट अधिसूचनाओं, जो कि साधारण और असाधारण से संबंधित हैं, की गजट प्रतियां छांटी गईं। विभिन्न साधारण और असाधारण के भाग–II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) तथा (ii) से संबंधित शुद्धियों सहित विभिन्न अधिसूचनाओं की प्रविष्टि वर्णक्रमानुसार रजिस्टर में की गई।

4. जी.एस.आर.ओ अनुभाग ने ई–समीक्षा पर केंद्रीय अधिनियमों तथा अधीनस्थ विधानों को अपलोड करने संबंधी अन्य विविध कार्य भी किए तथा साथ ही अधीनस्थ विधानों संबंधी तिमाही रिपोर्ट, आर.टी.आई आवेदन/अपील, संसदीय प्रश्नों तथा रिपोर्टों आदि से संबंधित कार्य भी किए।

38. एकल वित्त और बजट एवं लेखा अनुभाग

एकल वित्त और बजट एवं लेखा अनुभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय के तीनों विभागों नामतः विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग तथा न्याय विभाग के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान तैयार करने से संबंधित कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, बजट को अंतिम रूप देने, बजट–पूर्व विचार–विमर्श और अनुपूरक/अतिरिक्त निधियों की मांगों को प्राप्त किए जाने संबंधी कार्य भी इस अनुभाग द्वारा किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग और उच्चतम न्यायालय सहित सम्पूर्ण मंत्रालय के लिए विस्तृत अनुदान मांगों को तैयार करने से संबंधित कार्य भी बजट तथा लेखा अनुभाग द्वारा निष्पादित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह अनुभाग उन प्रस्तावों जिनमें वित्तीय पहलू शामिल होते हैं और जहां वित्त मंत्रालय की विशिष्ट राय लेना अपेक्षित होती है, से संबंधित कार्य भी करता है तथा उन्हें वित्त मंत्रालय भेजे जाने से पूर्व उनकी प्रोसेसिंग भी करता है। विधि और न्याय मंत्रालय के लिए अनुदान मांगों पर संसदीय स्थायी समिति से संबंधित कार्य भी इस अनुभाग द्वारा समन्वयित किया जाता है।

(2) एकल वित्त और बजट एवं लेखा अनुभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचन संबंधी व्यय के संबंध में निधियों को अनंतिम रूप से निर्गत करने से संबंधित कार्य के लिए भी उत्तरदायी है।

39. प्रकाशन अनुभाग

प्रकाशन अनुभाग समय–समय पर केन्द्रीय अधिनियमों और अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशनों जैसे कि भारत के संविधान, निर्वाचन विधि संबंधी निर्देशिका, भारत के संविधान के अधीन जारी किए गए आदेशों, सांविधिक परिभाषाओं की सूची आदि के संशोधित संस्करण प्रकाशित करता है।

2. वर्ष 2021 के दौरान, प्रकाशन अनुभाग ने भारत के संविधान (अंग्रेजी पाठ), जिसमें फुट नोट के साथ संविधान (105वां संशोधन) अधिनियम, 2021 सहित नवीनतम संशोधन शामिल हैं, का संकलन, संवीक्षा तथा पुनरीक्षण इस विभाग द्वारा प्रकाशित (पॉकेट साइज में, डिग्लॉट संस्करण) कर दिया गया है तथा यह इस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर फुट नोट सहित भारत का संविधान (अंग्रेजी संस्करण) की अद्यतन प्रति उपलब्ध करवा दी गयी है। भारत का संविधान के प्रमाण की भी जांच की गई और इसे लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित करने के लिए अंतिम रूप दिया गया। भारत का संविधान का नया संस्करण डिग्लॉट रूप में इस विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया तथा माननीय विधि और न्याय मंत्री द्वारा 26 नवंबर, 2021 को जारी किया गया था।

3. कतिपय केंद्रीय अधिनियमों की पांडुलिपियां (अंग्रेजी संस्करण) विधिवत अद्यतन संशोधनों को शामिल करते हुए तैयार की गई हैं और प्रकाशन के लिए राजभाषा खंड को अग्रेषित की गई हैं।

40. राजभाषा अनुभाग

विधायी विभाग का राजभाषा अनुभाग, भारत संघ की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक रूप से उत्तरदायी है। यह अनुभाग अंग्रेजी से हिंदी तथा व्युत्क्रमतः अनुवाद कार्य करने सहित भारत संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए भी उत्तरदायी है।

(1) राजभाषा नीति के सांविधानिक और अन्य उपबंधों का कार्यान्वयनः–

विधायी विभाग ने 01 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक की अवधि के दौरान राजभाषा नीति के समस्त पक्षों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित प्रयास किए हैं :–

राजभाषा नियम 1976 के उपबंधों के अनुसार वर्तमान में 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रों को क्रमशः 84.36%, 79. 31% तथा 71.25% पत्र हिंदी में भेजे जा रहे हैं। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में अनुबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हिंदी में प्राप्त पत्रों, आवेदनों, अभ्यावेदनों आदि के उत्तर हिंदी में ही भेजे जाते हैं। भारत संघ की राजभाषा नीति के अनुसार, अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों, आवेदनों, अभ्यावेदनों आदि के भी उत्तर हिंदी में ही भेजे जा रहे हैं। सभी संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक रिपोर्टें, संविदाएं, नोटिस और संसद् के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उप धारा (3) के अनुसार द्विभाषी रूप में तैयार एवं जारी किए जाते हैं।

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में 29 अप्रैल, 1979 को विधायी विभाग को सरकारी कार्य हिंदी में करने हेतु अधिसूचित किया गया था। हिंदी में प्रवीण अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रारूप आदि हिंदी में ही प्रस्तुत करने के निदेश दिए गए हैं। इस प्रयोजन के लिए राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8 के उप– नियम (4) के अधीन अपना अधिकतम कार्य केवल हिंदी में करने के लिए 31 अनुभागों में से 17 अनुभागों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

(2) राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु तिमाही प्रगति रिपोर्टः–

हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्टें नियमित रूप से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को भेजी जाती हैं। इन रिपोर्टों के माध्यम से हिंदी प्रशिक्षण के संबंध में कर्मचारियों की स्थिति और हिंदी में उनके संपूर्ण कार्य को परिलक्षित किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिंदी में पत्राचार, टिप्पण और प्रारूपण करने में वृद्धि हो।

(3) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें:–

इस विभाग में संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी (राजभाषा खंड) सह राजभाषा प्रभारी की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है। शासकीय प्रयोजनों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के निर्धारण के लिए इस समिति की बैठकें नियमित रूप से तीन मास में एक बार आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्त राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को भेजे जाते हैं। कार्यवृत्त को विभाग के सभी अधिकारियों और अनुभागों में भी अनुपालन के लिए परिचालित किया जाता है। इस समिति की पहली, दूसरी, तीसरी तथा चौथी बैठक का आयोजन क्रमशः 26.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021 तथा 31.12.2021 को किया गया था। यह समिति हिंदी के प्रयोग के संबंध में समस्याओं की पहचान करने और उनका

समाधान ढूंढने के लिए प्रभावी उपाय प्रस्तुत करती है। समिति की बैठकों में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम पर भी विचार–विमर्श किया जाता है और उसमें विहित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। समिति की इन बैठकों में भारत संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित आदेशों, परिपत्रों, निदेशों, अधिसूचनाओं, संकल्पों, संस्तुतियों आदि पर भी चर्चा की जाती है।

(4) मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समितिः–

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिए गए दिशा – निर्देशों के अनुसार माननीय विधि और न्याय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति का 4 अगस्त 1967 को गठन किया गया था। यह समिति विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग के लिए संयुक्त रूप से गठित की गई है। इस समिति में संसदीय कार्य मंत्रालय और संसदीय राजभाषा समिति द्वारा मनोनित माननीय संसद् सदस्य, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद् के मनोनित सदस्य, प्रमुख अखिल भारतीय हिंदी स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा विधि और न्याय मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग के मनोनित गैर सरकारी सदस्य होते हैं। विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और राजभाषा विभाग के सचिव, अपर सचिव तथा ऊपर वर्णित विभागों के संबंधित संयुक्त सचिव समिति के शासकीय सदस्यों के रूप में सम्मिलित होते हैं।

(5) हिंदी प्रशिक्षणः–

यह विभाग हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी के विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करता है। हिंदी भाषा के ये पाठ्यक्रम प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ हैं। हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के लिए भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हैं। हिंदी के इन पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन एक निरंतर प्रक्रिया है क्योंकि अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति तथा स्थानांतरण होता रहता है।

(6) हिंदी पखवाड़े का आयोजनः–

इस विभाग में 14 सितंबर से 28 सितंबर, 2021 के दौरान हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया था। इस अवधि के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं और अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में इन कार्यक्रमों में भाग लिया था। इनमें से दो प्रतियोगिताएं हिंदीतर कार्मिकों के लिए विशेष रूप से आयोजित की गई थीं। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार राशि प्रदान की गई थी तथा पुरस्कार राशि के रूप में कुल रू 88,300 की राशि स्वीकृत की गई थी।

(7) हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएंः–

इस विभाग में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए राजभाषा विभाग द्वारा यथा निर्देशित तीन प्रोत्साहन योजनाएं विभाग में लागू की गई हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान मूल रूप से हिंदी में टिप्पण / प्रारूपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आठ कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में आशुलिपि तथा टंकण करने हेतु प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एक कर्मचारी को पुरस्कृत किया गया। हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए एक अधिकारी को पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा हिंदी शिक्षण योजना के अधीन आयोजित हिंदी भाषा, हिंदी आशुलिपि और हिंदी टंकण के हिंदी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात् अधिकारियों/कर्मचारियों को नकद पुरस्कार और अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की जाती है।

(8) संसदीय राजभाषा समितिः–

संसदीय राजभाषा समिति का गठन सन 1976 में केंद्र सरकार के मंत्रालयों / विभागों व उनके कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में निगरानी करने व सुझाव देने के लिए किया गया था। जहां

तक विधायी विभाग का संबंध है, इस समिति की सिफारिशों के आधार पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों को विभाग में कार्यान्वित किया जा रहा है।

41. राजभाषा खंड

(1) कृत्य

राजभाषा खंड, विधायी विभाग के अधीन राजभाषा (विधायी) आयोग का उत्तरवर्ती संगठन है। इसे निम्नलिखित कृत्य सौंपे गए हैं :–

(i) सभी राजभाषाओं में, यथासंभव उपयोग के लिए मानक विधि शब्दावली की तैयारी और उनका प्रकाशन;

(ii) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सभी केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ की तैयारी;

(iii) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी केन्द्रीय अधिनियम या किसी अध्यादेश या विनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों, विनियमों और आदेशों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ की तैयारी;

(iv) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सभी केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशों और विनियमों का राज्यों की संबंधित राजभाषा में प्राधिकृत पाठ की तैयारी तथा किसी राज्य में यदि ऐसे अधिनियमों या अध्यादेशों का पाठ हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में है, तो पारित किए गए सभी अधिनियमों और प्रख्यापित अध्यादेशों के हिन्दी में अनुवाद की व्यवस्था;

(v) विभिन्न विभागों के विलेखों, विधि दस्तावेजों जैसे संविदा, करार, पट्टों, बंधपत्र, गिरवी आदि का हिन्दी पाठ की तैयारी;

(vi) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अधीन यथा अपेक्षित सभी कानूनी अधिसूचनाओं का हिन्दी पाठ की तैयारी;

(vii) राष्ट्रपति शासन के अधीन स्थित राज्यों की सरकारों द्वारा जारी किए गए कानूनी नियमों का हिन्दी पाठ की तैयारी;

(viii) संसद् के सभी प्रश्न/उत्तर, आश्वासन आदि का हिन्दी पाठ की तैयारी जो विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित हैं;

(ix) हिन्दी भाषी राज्यों के अधिकारियों को हिन्दी में विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण;

(x) हिन्दी भाषी राज्यों की समन्वय समिति से संबंधित कार्य करना ताकि हिंदी के एकसमान विधिक शैली और मानक वाक्यांशों के मॉडल को क्रमिक रूप से विकसित करने तथा उन्हें प्रकाशित करने के कार्य में प्रभावकारी समन्वय सुनिश्चित किया जा सके;

(xi) विधि और न्याय मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति से संबंधित कार्य;

(xii) विधि के क्षेत्र में राजभाषा के संवर्धन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देने से संबंधित कार्य;

(xiii) केन्द्रीय अधिनियमों (विधायी इतिहास सहित) के द्विभाषी (डिग्लॉट) संस्करणों का प्रकाशन और उनका प्रचार;

(xiv) हिन्दी और द्विभाषी (डिग्लॉट) प्रारूप में इंडिया कोड (भारत संहिता) की तैयारी और अनुरक्षण; तथा

(xv) भारत के संविधान का क्षेत्रीय भाषाओं के संस्करणों का प्रकाशन और उनका विमोचन।

(2) विधि शब्दावली:–

वर्ष 1961 में राजभाषा (विधायी) आयोग के गठन के बाद से अब तक विधि शब्दावली के सात संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं तथा प्रत्येक क्रमवर्ती संस्करण आकार में बड़ा है। विधि शब्दावली के प्रथम संस्करण (1970) में 20,000 प्रविष्टियां थीं, जबकि नवीनतम छठे संस्करण (2001) में, जो आठ भागों में विस्तृत है, में लगभग 63,000 प्रविष्टियां हैं। विधि शब्दावली का नवीनतम 7वां संस्करण वर्ष 2015 में प्रकाशित किया गया है तथा इसमें 7 भागों में 65,000 प्रविष्टियां हैं। राजभाषा खंड द्वारा प्रकाशित विधि शब्दावली को, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवशाली प्रकाशन है, विधि क्षेत्र के सभी व्यक्तियों और विद्वानों से व्यापक प्रशंसा प्राप्त हुई है।

(3) भारत का संविधान:–

हाल ही में, 25 नवंबर, 2021 माननीय विधि और न्याय मंत्री ने संविधान के 2021 संस्करण को डिग्लॉट रूप में लांच किया जिसमें अब तक के सभी संशोधन सम्मिलित हैं।

हिन्दी (संघ की राजभाषा) में भारत के संविधान के प्राधिकृत पाठ के अतिरिक्त, 16 अन्य प्रादेशिक भाषाओं अर्थात् असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, मणिपुरी उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली और कोंकणी में संविधान के प्राधिकृत पाठ प्रकाशित किए गए हैं। हाल ही में सक्षम प्राधिकारी ने भारत के संविधान को मणिपुरी भाषा में डिग्लॉट रूप में प्रकाशन करने (अंग्रेज़ी–मणिपुरी) और डोगरी भाषा डिग्लॉट रूप में (अंग्रेजी–डोगरी) की मंजूरी दी है।

(4) भारत संहिता:–

सभी केन्द्रीय अधिनियमों का संकलन कर लिया गया है और उपयोगी खण्डों के रूप में भारत संहिता के नाम से प्रकाशित कर दी गई हैं। भारत संहिता का अंतिम संस्करण 1959 में आठ जिल्दों में प्रकाशित करवाया गया था। भारत संहिता (इंडिया कोड का संशोधित संस्करण) को कालक्रमानुसार द्विभाषी रूप (डिग्लॉट) में प्रकाशित करने हेतु कार्रवाई पहले ही आरम्भ की जा चुकी है।

संहिता की प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि प्रमुख विधेयकों के संलग्नक में दिए गए उद्देश्यों और कारणों का विवरण प्रत्येक अधिनियम के अन्त में भी जोड़ा गया है और भारत संहिता के संशोधित संस्करण में भी समाविष्ट किया गया है। भारत संहिता के संशोधित संस्करण के खण्ड I से XXXI तक प्रकाशित किए जा चुके हैं और भारत संहिता के खण्डं XXXII और XXXIII की पांडुलिपि मुद्रण हेतु प्रेस में भेज दी गई हैं।

(5) केंद्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत पाठों को तैयार करना और उनका प्रकाशन:–

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5(1)(क) के अधीन 28 अधिनियमों का हिंदी में प्राधिकृत पाठ राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है। ऐसे अधिनियमों की 1963 से लेकर अब तक कुल संख्या 2535 हो गई है।

(6) केंद्रीय अधिनियमों के डिग्लॉट संस्करणों का प्रकाशन:–

ऐसे केंद्रीय अधिनियम, जिनकी जनता में मांग बढ़ने की संभावना है, राजभाषा खंड द्वारा द्विभाषी (डिग्लॉट) रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। जब किसी अधिनियम विशेष की जनता में मांग होती है तो उसे जनसाधारण में बिक्री के लिए द्विभाषी (हिन्दी एवं अंग्रेज़ी) रूप में प्रकाशित किया जाता है।

(7) विधेयकों, अध्यादेशों आदि के प्राधिकृत हिंदी अनुवादः–

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (2) यह अपेक्षा करती है कि संसद् के किसी भी सदन में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या उनके संबंध में लाए जाने वाले संशोधनों के साथ उनका हिंदी अनुवाद भी संलग्न होगा। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, 62 विधेयकों के हिंदी अनुवाद, अंग्रेजी पाठ के साथ संसद् के सदनों को भेजे गए थे। इसके अतिरिक्त, 10 अध्यादेशों, 1 मंत्रिमंडल टिप्पण तथा 39 अधिनियमों के हिंदी अनुवाद भी तैयार किए गए थे।

(8) साधारण कानूनी नियम और आदेश (सा.का.नि.आ.):–

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (3) केंद्रीय सरकार में द्विभाषी कार्य के लिए अधिकृत करती है। उस उपधारा के खंड (1) के अधीन, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए या बनाए गए सभी संकल्प, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचनाएं आदि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होनी चाहिए। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, 9797 पृष्ठों के ऐसे कानूनी नियम/अधिसूचनाएं, आदि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए तैयार की गई।

(9) नियमों, विनियमों, आदेशों, आदि के प्राधिकृत पाठों को तैयार करना और उनका प्रकाशनः–

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) का खंड (ख) यह अपेक्षा करता है कि संविधान के अधीन या किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित हिंदी अनुवाद, हिंदी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। कुछ नियम, विनियम, आदेश आदि अनुवाद के विभिन्न प्रक्रमों पर हैं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, भर्ती नियमों के 3072 पृष्ठोां का हिन्दी अनुवाद किया गया है,

(10) केंद्रीय अधिनियमों आदि का रख–रखावः–

राजभाषा खण्ड का संशोधन अनुभाग, इंडिया कोड के साथ ही इंडिया कोड (डिग्लॉट) और भारत संहिता के रूप में रखी गई केंद्रीय विधानों की मूल प्रतियों के अनुरक्षण और अद्यतन रखने का कार्य करता है। यह अनुभाग भारत का संविधान, निर्वाचन विधि निर्देशिका और अन्य महत्वपूर्ण मैनुअलों को राजभाषा खंड के अधिकारियों के संदर्भ के लिए अद्यतन रखता है। यह अनुभाग, केन्द्रीय अधिनियमों की पूर्वोक्त मुख्य प्रतियों में, संसद् द्वारा पारित संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए संशोधनों को करने के लिए उत्तरदायी है।

इसके अतिरिक्त, राजभाषा खण्ड द्वारा डिग्लॉट रूप में प्रकाशित कराए जाने वाले प्रस्तावित केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठ की पांडुलिपि तैयार की जाती है। वर्ष के दौरान, दो डिग्लॉट अधिनियमों की पांडुलिपि तैयार की गई।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस अनुभाग ने :

(क) केंद्रीय अधिनियमों की ई–गजट प्रतियों के प्रकाशन से संबंधित सूचना विभिन्न राज्य सरकारों को उनकी संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में उन अधिनियमों के अनुवाद के लिए भेजी;

(ख) हिंदी भाषी राज्यों को केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठ वाली गजट प्रतियां, अपने–अपने राज्य के राजपत्रों में पुनः प्रकाशन के लिए भेजी;

(ग) प्रकाशन संबंधी कार्य किया;

(घ) राजभाषा खंड की प्रादेशिक भाषा युनिट को प्रादेशिक भाषाओं में केंद्रीय अधिनियमों के अनुवाद के संबंध में सहायता की तथा इस युनिट को कार्यदल (प्रादेशिक भाषा) की बैठक के आयोजन में भी

मद्द की ताकि वे अपनी संबंधित प्रादेशिक भाषाओं की शब्दावली में शामिल किए जाने वाले शब्दों का निर्णय और अनुमोदन लें सके।

(11) विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों, द्विभाषी (डिग्लॉट) संस्करणों, आदि की पांडुलिपियों का संपादन और उनका प्रकाशनः–

राजभाषा खंड का मुद्रण अनुभाग मुख्यतः भारत के संविधान के अधीन जारी विधेयकों, अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति अधिनियमों आदि, और परिषद् निर्वाचन–क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, आदि की पांडुलिपियों के संपादन और प्रूफों की जांच का कार्य करता है। ऐसे विधेयकों को भी, जिन्हें अल्पाविधिक सूचना पर पुरःस्थापित किया जाना अपेक्षित होता है, संसद् या राज्य परिषद् की ओर से मुद्रित किया जाता है। भारत के संविधान, निर्वाचन विधि निर्देशिका, इंडिया कोड के संशोधित संस्करण, केंद्रीय अधिनियमों, कानूनी नियमों और आदेशों के आशोधित द्विभाषी (डिग्लॉट) संस्करण, वार्षिक रिपोर्टों, आदि के प्रकाशनों के संपादन और प्रूफों की जांच का कार्य भी इस अनुभाग में किया जाता है। यह अनुभाग केंद्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति के अधिनियमों आदि के मुद्रण तथा प्रकाशन और विक्रय के लिए उनके पश्चात्वर्ती द्विभाषी (डिग्लॉट) रूप में पुनः मुद्रणों के लिए भी उत्तरदायी है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस अनुभाग ने सौंपे गए सभी उत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है।

राजभाषा खंड का मुद्रण अनुभाग प्रकाशन अनुभाग के कर्तव्यों का भी निर्वहन कर रहा है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, इस अनुभाग द्वारा 28 अधिनियम प्राधिकृत किए गए और 10 अध्यादेशों का प्रकाशन कराया गया।

(12) मानक विधिक दस्तावेजों को तैयार करना और उनका प्रकाशनः–

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3)(iii) यह अपेक्षा करती है कि केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से किए गए या जारी किए गए करारों, संविदाओं, पट्टों, बंधपत्रों, निविदाओं आदि के लिए हिंदी–अंग्रेजी दोनों भाषाएं प्रयोग की जाएं। उक्त अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुपालन के क्रम में राजभाषा खंड केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए आठ जिल्दों में उनके अनुवाद में एकरूपता प्राप्त करने की दृष्टि से ऐसे दस्तावेजों के हिंदी पाठ तैयार कर चुका है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, इस मंत्रालय के 2536 पृष्ठों के संसदीय प्रश्नोत्तरों/आश्वासनों का हिंदी पाठ भी तैयार किया गया।

(13) विधि क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को स्थापित करनाः–

राजभाषा खंड, का क्षेत्रीय भाषा यूनिट भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में प्रतिष्ठापित किए गए अनुसार केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी अनुवाद तैयार करने का कार्य कर रहा है। जहां तक क्षेत्रीय भाषाओं का संबंध है यह कार्य संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से किया जा रहा है।

राजभाषा खंड, प्राधिकृत पाठ (केंद्रीय विधि) अधिनियम, 1973 (1973 का 50) की धारा 2 के अधीन यथापरिकल्पित प्रादेशिक भाषाओं में केंद्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत पाठ भी प्रकाशित करता है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, कार्य समूह (क्षेत्रीय भाषा) द्वारा 47 केंद्रीय अधिनियमों के अनुवाद का अनुमोदन किया गया और 75 केंद्रीय अधिनियमों को राष्ट्रपति के प्राधिकार के अधीन हिंदी सहित इन क्षेत्रीय भाषाओं में प्राधिकृत पाठ के रूप में अधिप्रमाणित किया गया। विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में त्रिभाषी (अंग्रेजी– प्रादेशिक भाषा– हिंदी) विधि शब्दावली तैयार करने से संबंधित कार्य सात भाषाओं– बांग्ला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू में पूरा कर लिया गया है जो विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। साथ ही, हिंदी के अतिरिक्त, 15 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भारत का संविधान का प्राधिकृत पाठ निकाला गया

है,ये हैं, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली तथा कोंकणीं। भारत के संविधान को डोगरी भाषा में डिग्लॉट (अंग्रेजी–डोगरी) रूप में प्रकाशित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी ने अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

(14) केंद्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, आदि का व्यापक वितरणः–

केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठों की राजपत्रित प्रतियां, उनके अधिप्रमाणित किए जाने और भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के पश्चात् सभी हिंदी भाषी राज्यों को भेज दी गई हैं साथ ही इन्हें गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों की सरकारों तथा इन राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी भेजा गया था। इसके अतिरिक्त, ये प्रतियां भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों, अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन, नागरी प्रचारिणी सभा, संसद् पुस्तकालय और अन्य पुस्तकालयों को भी भेज दी गई थीं। केंद्रीय अधिनियमों की द्विभाषी रूप में प्रतियां सभी राज्यों (हिंदी और हिंदीतर भाषी राज्य दोनों), भारत के उच्चतम न्यायालय, संसद् पुस्तकालय और सभी उच्च न्यायालयों को नियमित रूप से भेजी जाती हैं। भारत का संविधान तथा विधि शब्दावली लोक सभा/राज्य सभा तथा केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भी वितरित की गई है।

(15) हिंदी सलाहकार समिति से संबंधित कार्यः–

इस मंत्रालय की बारहवीं हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन 14 मई, 2015 के संकल्प संख्या ई. 4(1)/2014–रा.भा.(वि.वि.) द्वारा तीन वर्षों के लिए किया गया तथा इसके पश्चात् इसका कार्यकाल 14 मई, 2018 से एक वर्ष के लिए अथवा 16वीं लोकसभा के शेष कार्यकाल तक के लिए विस्तारित किया गया। हिंदी सलाहकार समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। समिति का कार्य केन्द्र सरकार को सामान्यतः निम्नलिखित विषयों पर सलाह देना है :–

(i) केन्द्रीय अधिनियमों और सांविधिक नियमों का हिन्दी पाठ तैयार करना;

(ii) सामान्य विधि शब्दावली का विकास;

(iii) विधि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विधि की शिक्षा हिन्दी में देने के लिए मानक विधि पुस्तकों को हिन्दी में तैयार करना;

(iv) विधि जर्नलों और प्रतिवेदनों का हिन्दी में प्रकाशन;

(v) उपर्युक्त मदों में से किसी भी विषय से आनुषांगिक और सम्बन्धित विषय;

(vi) शासकीय प्रयोजन के लिए विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए तरीके सुझाना।

(16) स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदानः–

विधि के क्षेत्र में हिंदी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं के प्रसार और विकास के लिए संघ और राज्यों की राजभाषाओं के संवर्धन के लिए एक स्कीम है। इस स्कीम के अधीन स्वैच्छिक संगठनों और संस्थानों को वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1985 से, राजभाषा खंड उन स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए इस स्कीम को लागू कर रहा है, जो विधि और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य, जोकि प्रस्तावित टिप्पणियों, आलेखों, विधिक विषयों पर पुस्तकों, विधि जर्नलों, विधि संग्रह तथा अन्य प्रकाशन जो हिंदी तथा राज्यों की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्धि, प्रचार तथा विकास में सहायक के रूप में हों, के विकास तथा प्रचार की गतिविधियों में शामिल हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डा० सतीश चन्द्र (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में 25 अप्रैल, 2019 से तीन वर्षों की अवधि हेतु एक उच्चाधिकार समिति गठित की गई है। इस समिति में श्रीमती कुमुद एल.दास, अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली; प्रोफेसर (डॉ)

सुभाष चंद्र गुप्ता, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, डॉ बी.जी.आर. कैम्पस, पौड़ी गढ़वाल राजभाषा खण्ड के संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी सदस्य–सचिव के रूप में शामिल हैं। विधि के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए न्यायमूर्ति डा. सतीश चन्द्र (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में 3 मार्च, 2021 को एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई थी जिसमें वित्तीय वर्ष 2020–21 के अनुदान के लिए कोई भी स्वैच्छिक संगठन उपयुक्त नहीं पाया गया।

(17) राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए किए गए विशेष उपायः–

राजभाषा खंड की वेबसाइट 3.12.2001 को तैयार की गई थी तथा इसका यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर http://lawmin.nic.in/olwing है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुदित संसद् के महत्वपूर्ण अधिनियम विभिन्न भाषाओं में राजभाषा खण्ड के होम पेज पर संबंधित भाषाओं के अंतर्गत डाले गए हैं। विभिन्न विधेयकों, अधिसूचनाओं, आदेशों, भर्ती नियमों आदि के प्रिंटआउट लेने को सुविधाजनक बनाने के लिए राजभाषा खण्ड ने यूनिकोड फॉन्ट का प्रयोग प्रारम्भ किया है तथा हिंदी पाठ की साफ्ट कॉपी उपलब्ध कराता है।

भारत का संविधान, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता तथा निर्वाचन विधि निर्देशिका को पहले ही नेट पर उपलब्ध कराया जा चुका है। इस वेबसाइट पर 1838 से 2018 तक के केंद्रीय अधिनियमों की सूची उपलब्ध करवा कर तथा 10 महत्तवपूर्ण विधायनों के साथ–साथ प्रधान एवं संशोधन विधायनों को पीडीएफ फार्मेट में वेबसाइट पर अपलोड करके इसे और अधिक समृद्ध बनाया गया है जो विधि के क्षेत्र और से जुड़ी बिरादरी, आम जनता तथा विधि के छात्रों से जुड़ी बिरादरी, आम जनता तथा विधि के छात्रों के लिए खासा लाभकारी है।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, राजभाषा खंड के विधेयक अनुभाग, अनुवाद 1 अनुभाग, अनुवाद 2 अनुभाग, विधायी 1 अनुभाग, विधायी 2 अनुभाग, मुद्रण अनुभाग, संशोधन अनुभाग, प्रशासन अनुभाग, रोकड़ अनुभाग और पुस्तकालय को पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों की कैमरा रैडी प्रतियां तैयार की गई थीं। सुगमतापूर्वक कार्य करने के लिए राजभाषा खण्ड ने मंगल फॉन्ट का इस्तेमाल शुरू किया है।

राजभाषा खंड के सभी समूह "क" अधिकारियों के नामों, ई–मेलों, पतों और संपर्क नम्बरों की अंग्रेजी और हिंदी में एक सूची भी राजभाषा खण्ड के होमपेज पर डाली गई है।

विधि के क्षेत्र में राजभाषाओं के विकास में लगे हुए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना का ब्यौरा हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध कराया गया है।

42. विधि साहित्य प्रकाशन

वर्ष 1958 में संसदीय राजभाषा समिति ने सिफारिश की कि भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों के प्राधिकृत अनुवाद को प्रकाशित करने के लिए व्यवस्था की जाए और यह कार्य विधि विभाग के पर्यवेक्षणाधीन एक केन्द्रीय कार्यालय को सौंपा जाए। तत्पश्चात्, हिन्दी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर वर्ष 1968 में विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विधायी विभाग में एक पत्रिका खंड स्थापित किया गया। इस खंड को ही बाद में "विधि साहित्य प्रकाशन" नाम दिया गया।

आरंभ में भारत के उच्चतम न्यायालय के सभी प्रतिवेद्य (Reportable) निर्णयों, जो रिपोर्ट किए जाने योग्य

के रूप में चिह्नित किए गए थे, का मासिक प्रकाशन अप्रैल, 1968 में आरंभ किया गया और इसे "उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका" का नाम दिया गया। तत्पश्चात्, उच्च न्यायालयों के निर्णयों को समाविष्ट करने वाला दूसरा मासिक प्रकाशन जनवरी, 1969 में आरंभ किया गया और इसे "उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका" का नाम दिया गया। वर्ष 1987 में "उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका" को दो निर्णय पत्रिकाओं अर्थात् "उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका" और "उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका" में विभाजित कर दिया गया। तत्पश्चात्, 1990 से उच्चतम न्यायालय के रिपोर्ट किए जाने योग्य निर्णयों में लगातार वृद्धि होने और विधि साहित्य प्रकाशन में अपेक्षित संपादकीय कर्मचारीवृन्द की कमी होने के कारण 'उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका' में केवल उच्चतम न्यायालय के रिपोर्ट किए जाने योग्य चयनित निर्णय प्रकाशित होते हैं। 'उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका' और 'उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका' में भी सिविल और दांडिक मामलों के केवल प्रतिवेद्य और चयनित निर्णय ही प्रकाशित होते हैं।

उपर्युक्त तीन पत्रिकाओं के अतिरिक्त विधि साहित्य प्रकाशन निम्नलिखित कार्य भी करता है :–

(क) शैक्षणिक उपयोग के लिए विधि और अन्य क्षेत्रों में निर्देश पुस्तकों के रूप में हिन्दी में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन;

(ख) हिन्दी में विधि के उत्कृष्ट साहित्य का अनुवाद और प्रकाशन;

(ग) विधि के क्षेत्र में हिन्दी में सर्वोत्तम प्रकाशनों के लिए विभिन्न पुरस्कारों का दिया जाना;

(घ) विधि साहित्य प्रकाशन के हिन्दी प्रकाशनों और विधायी विभाग के दूसरे खंड अर्थात् राजभाषा खंड के द्विभाषी संस्करणों आदि का विक्रय; और

(ङ) भारत के विभिन्न स्थानों में, विशिष्टतया हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी में विधि साहित्य को लोकप्रिय बनाने और उनमें सुधार किए जाने के लिए सम्मेलन, संगोष्ठियां और पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित किया जाना।

इसके अतिरिक्त विधि के विद्यार्थियों, विधि के प्राध्यापकों, अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों के उपयोग के लिए हिन्दी में सुविख्यात विधि विशेषज्ञों द्वारा लिखित विधि की मानक पुस्तकें भी प्रकाशित की जा रही है। विधि के क्षेत्र में मूल रूप से हिन्दी में विधि पुस्तकें लिखने वाले लेखकों को प्रोत्साहित किए जाने के लिए लिखी गईं सर्वोत्तम पुस्तकों पर प्रतिवर्ष पुरस्कार भी दिए जाते हैं।

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए समय–समय पर हिन्दी भाषी और साथ ही गैर–हिन्दी भाषी राज्यों के विधि महाविद्यालयों, उच्च न्यायलयों और जिला न्यायालयों आदि में संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। विधि साहित्य प्रकाशन अपने और राजभाषा खंड के प्रकाशनों की, जिनमें केन्द्रीय अधिनियमों के द्विभाषी (हिन्दी–अंग्रेजी) संस्करण भी हैं, विभिन्न हिन्दी भाषी/ गैर हिंदी भाषी राज्यों में प्रदर्शनियां लगाता है और इन प्रकाशनों के विक्रय का कार्य करता है।

विधि साहित्य समाचार' नामक एक त्रैमासिक जर्नल भी प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें विधि के क्षेत्र में विभिन्न कार्यकलापों और विधि साहित्य प्रकाशन के प्रकाशनों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाती है। "प्रकाशन सूची" भी ग्राहकों को समय–समय पर उपलब्ध करवाई जाती, जिसमें विधि साहित्य प्रकाशन में विक्रय के लिए उपलब्ध प्रकाशनों की जानकारी समाविष्ट होती है।

पुरस्कार प्रदान किया जाना : विधि साहित्य प्रकाशन उपर्युक्त तीन विधि पत्रिकाओं और विधि पुस्तकों के प्रकाशन के अतिरिक्त हिंदी में विधि पुस्तकों के लेखन, अनुवाद और प्रकाशन और पाठ्यपुस्तकों या निर्देश पुस्तकों के रूप में उपयोग के लिए हिंदी में लिखित या प्रकाशित पुस्तकों पर 5,00,000/– रु. (पांच लाख रुपए केवल) (प्रथम पुरस्कार 50,000/– रुपए (पचास हजार रुपए केवल), द्वितीय पुरस्कार 30,000/–रुपए (तीस हजार रुपए केवल) और तृतीय पुरस्कार 20,000/–रुपए (बीस हजार रुपए केवल)) दिए जाते है। यह

पुरस्कार लेखकों को प्रतिवर्ष निजी प्रकाशकों द्वारा हिंदी में प्रकाशित सर्वोत्तम विधि पुस्तकों के प्रकाशन के लिए दिए जाते हैं। डॉ. राम चंद्र निगम द्वारा लिखित दंड विधि (साधारण सिद्धांत), भारतीय दंड संहिता विनिर्दिष्ट अपराध (द्वितीय संस्करण), केसी जोशी द्वारा लिखित प्रशासनिक विधि (चौथा संस्करण), डॉ. आर.सी. चतुर्वेदी द्वारा लिखित संविदा विधि (तृतीय संस्करण), श्री अश्वनी कुमार उपाध्याय द्वारा लिखित विधायी प्रारूपण की पुस्तकें, वर्ष 2021 में बिक्री के लिए उपलब्ध है। हिंदी में पैंतीस मानक विधि पुस्तकें अब तक संदर्भ पुस्तकों के रूप में उपयोग के लिए प्रकाशित की गई हैं।

डिजिटलीकरण : विधि साहित्य प्रकाशन डिजिटलीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत है। तीनों विधि पत्रिकाएं अर्थात् उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका का इंटरनेशनल स्टेंडर सिरियल नम्बर (आईएसएसएन) के द्वारा मानकीकरण किया जा चुका है। विधि साहित्य प्रकाशन ने तीनों पत्रिकाओं अर्थात् उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका को ई–गर्वनेंस/डिजिटली प्रक्रिया के अंतर्गत http://legislative.gov.in/vidhi-sahitya पर पीडीएफ फार्मेट (वर्ष 2012 से) में अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों, वादकारियों, विधि शिक्षकों और सामान्यजन्य के लाभार्थ अपलोड कर दिया है।

संगोष्ठी/प्रदर्शनी/सम्मेलन का आयोजन और विधि प्रकाशनों, भारत का संविधान, केंद्रीय अधिनियमों के द्विभाषीय संस्करणों, विधि शब्दकोश, निर्वाचन विधि निर्देशिका और भारत संहिता इत्यादि का विक्रय : केंद्रीय अधिनियम और विधि प्रकाशन https://bharatkosh.gov.in/Product/Product/. पर ऑनलाइन विक्रय के लिए डिजिटल संदाय अर्थात् क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के आधार पर उपलब्ध है और संदाय का लिंक विधायी विभाग की वेबवाइट के प्रथम पृष्ठ पर उपलब्ध है। यह 'Ease of Doing Business' के अंतर्गत है। न्यायाधीश, अधिवक्ता, विधि छात्र, विधि शिक्षक, विधि साहित्य प्रकाशन के विक्रय काउंटर से विधि पुस्तकें और विधि पत्रिकाएं खरीद रहे हैं। कारबार अनुभाग द्वारा वर्ष 2021 के दौरान तारीख 9 सितम्बर से 14 सितम्बर तक वाराणसी जिला न्यायालय, फैजाबाद जिला न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पुस्तक प्रदर्शनी–सह–विक्रय काउंटरों का आयोजन किया गया।

विधि साहित्य प्रकाशन हिंदी में विधि के ज्ञान को प्रोन्नत किए जाने और उसका प्रचार प्रसार किए जाने की योजना के अंतर्गत विधि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के पुस्तकालयों, न्यायाधीशों के पुस्तकालयों और विधि छात्रों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए भारत संहिता का मुफ्त वितरण किया है।

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तारीख 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 के मध्य कुल 20,68,647/–रुपए (बीस लाख अड़सठ हजार छह सौ सैंतालीस रुपए मात्र) की पुस्तकों का विक्रय किया गया है।

संपादकीय बोर्ड/मूल्यांकन समिति : विधि साहित्य प्रकाशन में दो समितियां है अर्थात् संपादकीय बोर्ड और मूल्यांकन समिति और इन दोनों समितियों के सदस्यों का नामांकन माननीय विधि और न्याय मंत्री द्वारा किया जाता है। संपादकीय बोर्ड तीनों विधि पत्रिकाओं के स्तरमान/सुधार के प्रति जागरूक रहता है, आगे के विकास सलाह देता है, जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालयों, विधि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों और विधि वृत्तकों इत्यादि के लाभार्थ विधि पत्रिकाओं के परिचालन में अभिवृद्धि के बाबत के बारे में सलाह देता है। मूल्यांकन समिति हिंदी में लिखी गई और निजी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की गई सर्वोत्तम विधि पुस्तकों का चयन करती है दोनों समितियों अर्थात् मूल्यांकन समिति और संपादकीय बोर्ड के संगठन की प्रक्रिया चल रही है।

ई–पुस्तकें :– विधि साहित्य प्रकाशन ने ई–अभिशासन/डिजिटलीकरण प्रक्रिया के अधीन भौतिक प्रकाशन के अतिरिक्त, नियमित पत्रिकाओं/हिन्दी में विधिक साहित्य/विख्यात लेखकों द्वारा लिखित हिन्दी में मानक और विधिक पुस्तकों का व्यापक प्रचार–प्रसार करने के लिए प्रकाशित करता है जिनका भुगतान ई–पेमेंट पर लिया जाता है, जिससे आम जनता को आसानी होती है और इसमें कोई लागत भी नहीं आती है और अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होती है।

विधायी विभाग अपनी वेबसाइट और विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) के माध्यम से समाचारपत्रों में विज्ञापन द्वारा महत्वपूर्ण विधि विषयों जैसे – साइबर विधि, बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियम, अनुकल्पिक विवाद समाधान विधि, मानवाधिकार, घरेलू हिंसा, सूचना का अधिकार इत्यादि क्षेत्रों में कार्यरत लेखकों को हिन्दी में विधिक पुस्तकें लिखने के लिए आमंत्रित करता है और इन विषयों पर पुस्तकें लिखने के लिए अधिकांश प्रवक्ताओं ने अपनी इच्छा अभिव्यक्त की है और इस संबंध में प्रक्रिया जारी है और इस संबंध में आमंत्रित किया जाएगा।

विभाग के वेबसाइट और भारतीय प्रेस ट्रस्ट द्वारा प्रत्येक वर्ष में हिन्दी में लिखित या प्रकाशित सर्वोत्तम विधि पुस्तकों को पुरस्कृत किए जाने के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशन के माध्यम से, जो विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) द्वारा किया जाता है, व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए स्कीम में भाग लेने के लिए लेखकों को आमंत्रित किया जाएगा।

प्रवर्तनीय नीति के अंतर्गत दीर्घकालिक योजना को प्रवर्तित किए जाने के लिए वर्ष 2017–2018 से 2023–2024 तक सात वर्षीय रूपरेखा और मध्याविधि पुनर्विलोकन के संबंध में यह प्रस्तावित किया जाता है कि विधि साहित्य प्रकाशन अपने वेबसाइट द्वारा विभिन्न जिला और उच्च न्यायालयों और विभिन्न विधि विश्वविद्यालयों और विधि महाविद्यलायों के माध्यम से हिन्दी में विधि साहित्य– को लोकप्रिय बनाने का कार्य करेगा और अपनी तीन पत्रिकाओं को प्रकाशित करने के अलावा ई–पुस्तकों (ई–पुस्तकों के प्ररूप में ऑन लाइन सभी तीनों पत्रिकाओं) को प्रकाशित करने का कार्य करेगा।

43. सरकारी पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांगजनों हेतु आरक्षण

विधायी विभाग के तीन प्रशासनिक खण्डों अर्थात् विधायी विभाग (मुख्य), राजभाषा खण्ड तथा विधि साहित्य प्रकाशन की संबंधित इकाइयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांगजनों के लिए सरकारी पदों में आरक्षण संबंधी सरकार के आदेशों/अनुदेशों के कार्यान्वयन पर नज़र रखने के लिए उप सचिव/निदेशक स्तर का एक अधिकारी संपर्क अधिकारी के रूप में कार्यरत है।

विधायी विभाग (मुख्य), राजभाषा खण्ड तथा विधि साहित्य प्रकाशन में 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों, दिव्यांगजनों तथा उनमें महिला कर्मचारियों की संख्या को दर्शाने वाली विवरणी संलग्न है। (अनुबंध– VII तथा अनुबंध –VIII)

44. स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन तथा अन्य कार्यकलाप

इस विभाग में जल शक्ति मंत्रालय पेयजल और स्वच्छता विभाग के स्वच्छता कैलेंडर 2021 के अनुसार स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, रन फॉर यूनिटी राष्ट्रीय एकता दिवस तथा समय–समय पर आजादी का अमृत महोत्सव आदि भी गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी कोविड–19 बचाव अनुकूल व्यवहार तथा सभी सुरक्षा एवं एसओपी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आयोजन किया गया। (अनुबंध–IX)

45. लोक शिकायतः

1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 की अवधि के दौरान, विधायी विभाग में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 1644 लोक शिकायतें प्राप्त हुईं। इसके अतिरिक्त, 1 जनवरी, 2021 से पहले 223 लोक शिकायतें लंबित थीं। उक्त अवधि के दौरान, 1544 लोक शिकायतों का निपटान किया गया तथा शेष शिकायतों के निपटान के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

46. विभागीय लेखा संगठन

विधि और न्याय मंत्रालय में सचिव मुख्य लेखा प्राधिकारी हैं। वे अवर सचिव (वित्त सलाहकार) और मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से अपना कार्य करते हैं।

2 सा.वि.नियम, 2017 के नियम 70 के अनुसार, किसी मंत्रालय/ विभाग के सचिव, जो मंत्रालय/विभाग के मुख्य लेखा प्राधिकारी होते हैं, वेः–

(i) अपने मंत्रालय या विभाग के वितीय प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ii) यह सुनिश्चित करेंगे कि मंत्रालय को विनियोजित सार्वजनिक निधि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए हो, जिसके लिए वह निर्धारित की गई है।

(iii) निष्पादन के मानकों का अनुपालन करते हुए मंत्रालय के लिए बताए गए परियोजना–लक्ष्यों को प्राप्त करने में मंत्रालय के संसाधनों के प्रभावी, कुशल, किफायती और पारदर्शी उपयोग के लिए उतरदायी होंगे।

(iv) लोक–लेखा समिति और किसी अन्य संसदीय समिति के समक्ष जांच के लिए उपस्थित होंगे।

(v) उनके मंत्रालय को सौंपे गए कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्य निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा करेंगे और यह देखेंगे कि मंत्रालय के घोषित लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएं।

(vi) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी विनियमों, दिशा–निर्देशों या निर्देशों के अनुसार अपने मंत्रालय के व्यय–संबंधी और अन्य विवरण तैयार करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(vii) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके मंत्रालय के वित्तीय संव्यवहारों का पूर्ण और उचित रिकार्ड रखा जाए तथा इसके लिए ऐसी प्रणालियां व प्रक्रियाएं अपनाई जाएं जिनसे हर समय आंतरिक नियंत्रण बना रहे।

(viii) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका मंत्रालय कार्य–पालन के लिए और साथ ही सेवाओं और आपूर्तियों की प्राप्ति के लिए सरकारी खरीद प्रक्रिया का पालन करे और उसे निष्पक्ष, न्यायोचित, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक और लागत–प्रभावी तरीके से लागू करे।

(ix) यह सुनिश्चित करने के लिए उचित और प्रभावी कदम उठाएंगे कि उनका मंत्रालयः

(क) सरकार को शोध्य सभी धन एकत्रित करे।

(ख) अप्राधिकृत, अनियमित और व्यर्थ के व्यय से बचे।

3. सिविल लेखा मैनुअल के पैरा 1.2.2 के अनुसार, मुख्य लेखा नियंत्रक मुख्य लेखा प्राधिकारी के लिए और उसकी ओर से निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगाः–

(क) समस्त भुगतान वेतन और लेखा कार्यालयों/प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से करने की व्यवस्था करना, केवल उन कुछ विशेष प्रकार के मामलों को छोड़कर जिनके लिए आहरण और संवितरण अधिकारी भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किए गए हैं।

(ख) मंत्रालय/ विभाग के लेखों का संकलन और समेकन करना और उन्हें निर्धारित प्रपत्र में मुख्य लेखा नियंत्रक को प्रस्तुत करना, अपने मंत्रालय/विभाग की अनुदान मांगों के लिए वार्षिक विनियोजन लेखा को तैयार करना, उनकी विधिवत लेखा–परीक्षा करवाकर और मुख्य लेखा प्राधिकारी से हस्ताक्षर करवाकर उसे महालेखा–नियंत्रक को प्रस्तुत कराना।

(ग) विभाग की विभिन्न अधीनस्थ इकाइयों और वेतन और लेखा कार्यालयों द्वारा रखे गए भुगतान और लेखा के रिकॉर्ड के आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था करना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रखे जा रहे सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लेनदेन के रिकॉर्ड के निरीक्षण की व्यवस्था करना।

4. मुख्य लेखा नियंत्रक, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत का उच्चतम न्यायालय दो प्रधान लेखा अधिकारियों, चार वेतन और लेखा अधिकारियों और अन्य, कर्मचारियों की सहायता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।

5. विधि और न्याय मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय में 32 सीडीडीओ और 19 एनसीडीडीओ सहित 51 डीडीओ हैं। गैर–चेक वाले आहरण और संवितरण अधिकारी बिलों को भुगतान की "प्री–चैक" प्रणाली के अर्न्तगत वेतन और लेखा अधिकारी को प्रस्तुत करते हैं। सीडीडीओ और एनसीडीडीओ का वेतन और लेखा कार्यालय–वार विवरण नीचे दिया गया है–

क्र.सं.	वेतन और लेखा कार्यालय	आहरण और संवितरण अधिकारी	
		सीडीडीओ	एनएसडीडीओ
1	वेतन और लेखा कार्यालय (ईओ)	3	3
2.	वेतन और लेखा कार्यालय (वि.का.)	29	11
3.	वेतन और लेखा कार्यालय (एससीसीआई)	0	1
4.	वेतन और लेखा कार्यालय (वि.वि.)	0	4

6. सिविल लेखा मैनुअल के पैरा 1.2.3 के अनुसार, नई दिल्ली स्थित प्रधान कार्यालय एक प्रधान लेखा अधिकारी के अधीन कार्य करता है, जो निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है:–

(क) मंत्रालय/विभाग के लेखों का मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा निर्धारित की गई रीति से समेकित करना।

(ख) मंत्रालय/विभाग द्वारा नियंत्रित अनुदानों की मांगों के वार्षिक विनियोजन लेखा को तैयार करना, संघ सरकार (सिविल) के वित्त लेखे के लिए केन्द्रीय लेन–देन के विवरण और सामग्री को मुख्य, लेखा नियंत्रक को प्रस्तुत करना।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से राज्य सरकार को ऋण और अनुदानों की अदायगी करना और जहां भी इस कार्यालय का आहरण लेखा हो, उसमें से संघ राज्य क्षेत्र सरकार/प्रशासन को भुगतान करना।

(घ) प्रबंध लेखा प्रणाली, यदि कोई हो, के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तथा वेतन और लेखा कार्यालयों को तकनीकी सलाह देने के लिए नियम–पुस्तिकाएं (मैनुअल) तैयार करना, मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय के साथ आवश्यक सम्पर्क बनाए रखना और लेखा संबंधी मामलों में समग्र समन्वय और नियंत्रण रखना।

(ड.) मंत्रालय/विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अनुदान–कार्यक्रमों के अधीन व्यय की प्रगति पर नजर रखने के लिए पूरे मंत्रालय/विभाग के लिए विनियोग लेखा–परीक्षा रजिस्टरों का रखरखाव करना।

प्रधान लेखा कार्यालय/अधिकारी लेखा संगठन के सभी प्रशासनिक और समन्वय कर्तव्यों को निभाता है और स्थनीय वेतन ओर लेखा कार्यालयों सहित विभाग को आवश्यक वित्तीय, तकनीकी, लेखा सबंधी सलाह भी देता है।

7. सिविल लेखा नियम–पुस्तिका (मैनुअल) में निहित प्रावधानों के अनुसार, वेतन और लेखा कार्यालय संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भुगतान करते हैं और कुछ मामलों मे भुगतान निधियां आहरित करने के लिए

प्राधिकृत किए गए विभागीय आहरण और संवितरण अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं। यह भुगतान प्रत्यायित बैंक के उन कार्यालयों/शाखाओं के चेक के जरिए किया जाएगा जिन्हें उस मंत्रालय/ विभाग की प्राप्तियों और भुगतान के लिए प्राधिकृत किया गया हो। इन भुगतानों का अलग सूचियों में संबंधित मंत्रालय/विभाग के वेतन और लेखा कार्यालयों में दिए जाने के लिए लेखा–जोखा दिया जाना होगा। चेक से भुगतान के लिए प्राधिकृत प्रत्येक वेतन और लेखा कार्यालय अथवा आहरण और संवितरण अधिकारी प्रत्यायित बैंक की केवल उसी विशेष शाखा/शाखाओं, जिसके साथ वेतन और लेखा कार्यालय अथवा आहरण और संवितरण अधिकारी, जैसा भी मामला हो, लेखा में रखा गया है, से ही आहरण करेगा। मंत्रालय/विभाग की सभी प्राप्तियों का लेखा–जोखा अंतिम रूप से वेतन और लेखा कार्यालय की बहियों में भी रखा जाएगा। वेतन और लेखा कार्यालय विभागीकृत लेखा संगठन की एक मूल इकाई है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैः–

- एनसीडीडीओ द्वारा प्रस्तुत ऋणों और सहायता अनुदानों सहित सभी बिलों की पहले जांच करना और भुगतान।
- निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुरूप सही और समय पर भुगतान।
- प्राप्तियों की समय पर वसूली।
- चैक आहरित करने वाले आहरण और संवितरण अधिकारियों को त्रैमासिक "लेटर ऑफ क्रेडिट" जारी करना और उनके वाउचर/बिलों की जांच–पड़ताल करना
- चैक आहरित करने वाले आहरण और संवितरण अधिकारियों के लेखों को शामिल करते हुए प्राप्तियों और व्यय के मासिक लेखों का संकलन।
- सम्मिलित डीडीओ को छोड़कर जी.पी.एफ. लेखों का रख–रखाव और सेवानिवृत्ति लाभों को प्राधिकृत करना।
- सभी डीडीआर शीर्षों का रखरखाव।
- बैंकिंग प्रणाली द्वारा ई–भुगतान के जरिये मंत्रालय/विभाग को कुशल सेवा प्रदान करना।
- निर्धारित लेखा मानकों, नियमों और सिद्धांतों का पालन करना।
- समय पर सही, व्यापक, संगत और उपयोग वित्तीय सूचना देना।

8. किसी नए वेतन और लेखा कार्यालय का सृजन (अथवा पुनर्गठन) करने के लिए अथवा मंत्रालय/विभाग की लेखा की विभागीकरण योजना में शामिल चेक आहरित करने वाले आहरण व संवितरण अधिकारियों की सूची में नाम जोड़ने के लिए मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय का विशेष अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

9. विधि और न्याय मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय के संबंध में विभागीय लेखा संगठन के समग्र उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैः–

- मंत्रालय के मासिक लेखा को समेकित करना और उसे मुख्य लेखा नियंत्रक को प्रस्तुत करना।
- वार्षिक विनियोग लेखा।
- केन्द्रीय लेन–देन का विवरण।
- "लेखा एक नजर में" तैयार करना।
- मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय और प्रधान लेखा–परीक्षा निदेशक को प्रस्तुत किए जाने के लिए संघीय वित्तीय लेखा।
- राज्य सरकार/अनुदानग्राही संस्थानों/स्वायत्त निकायों आदि को सहायता अनुदान का भुगतान।
- मंत्रालय और वेतन व लेखा अधिकारियों को तकनीकी सलाह देना, यदि इसके लिए आवश्यकता हो, तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय और मुख्य लेखा नियंत्रक आदि अन्य संगठनों से परामर्श करना।

- प्राप्ति बजट तैयार करना।
- पेंशन बजट तैयार करना।
- पीएओ/चेक आहरण कर्ता डीडीओ एवं वैयक्तिक जमा खाता धारकों के लिए और उनकी ओर से चेक बुक प्राप्त करना और प्रदान करना।
- मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय के साथ आवश्यक संपर्क बनाए रखना और लेखा मामलों और प्रत्यायित बैंक के साथ समग्र समन्वय व नियंत्रण रखना।
- विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से अधिकृत बैंक के माध्यम से किए गए समस्त भुगतान और प्राप्तियों का समाधान व सत्यापन करना।
- भारतीय रिजर्व बैंक में विधि और न्याय मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय के खाते रखना और नकद शेष का मिलान करना।
- शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करना।
- पेंशन/भविष्य निधि और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का शीघ्र निपटान।
- विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन मंत्रालय, अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों तथा उनके अनुदानग्राही संस्थानों आदि की आंतरिक लेखा परीक्षा।
- सभी संबंधित प्राधिकारियों को लेखा संबंधी सूचना उपलब्ध कराना।
- विधि और न्याय मंत्रालय, भारत के उच्चतम न्यायालय के बजट का समन्वय का कार्य।
- नई पेंशन योजना और 2006 से पूर्व के और 1990 के पूर्व के सेवानिवृत्त व्यक्तियों के पेंशन संबंधी मामलों की मानिटरिंग करना।
- लेखा और ई–भुगतान का कम्प्यूटरीकरण।
- लेखा संगठन के कार्य का समन्वय और प्रशासन।
- केन्द्रीय क्षेत्र योजना के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को सार्वभौमिक रूप से लागू करना।
- वित्त मंत्रालय के मार्ग–निर्देशों के अनुसार, नॉन–टैक्स रिसीट पोर्टल (एनटीआरपी) को सार्वभौमिक रूप से लागू करना।

10. प्रभावी बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की सुविधा के लिए मंत्रालय को लेखा सूचना और डाटा भी उपलब्ध कराया जाता है। विधि और न्याय मंत्रालय, भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुदान के विभिन्न उप–शीर्षकों के अधीन मासिक और किए जा रहे व्यय के आंकड़े बजट अनुभाग को प्रस्तुत किए जाते हैं। बजट प्रावधानों के बजट व्यय की मासिक प्रगति रिपोर्ट सचिव, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार के साथ–साथ मंत्रालय के प्रभागों के प्रमुखों को प्रस्तुत की जाती है ताकि अनुदानों पर नियंत्रण रहे और व्यय की बेहतर मानीटरिंग हो।

11. लेखा संगठन मंत्रालय के कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों से लिए जाने वाले अग्रिम और मोटर–कार अग्रिम व गृह निर्माण अग्रिम जैसे दीर्घकालीन अग्रिमों का भी लेखा रखता है।

12. मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय, कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा प्रस्तुत किए गए सेवा के ब्यौरों और पेंशन कागजात के आधार पर अधिकारियों और स्टाफ के सदस्यों की पेंशन की हकदारियों का सत्यापन करता है और उन्हें प्राधिकृत करता है। सभी सेवानिवृत्ति लाभों और भुगतान जैसे कि ग्रेच्युटी, छुट्टी अवकाश के बराबर नकद राशि तथा केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना, सामान्य भविष्य निधि के अधीन भुगतान आदि डीडीओ कार्यालय से बिल/आवश्यक सूचना की प्राप्ति पर मुख्य लेखा–नियंत्रक के कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है।

13. आंतरिक लेखा–परीक्षा खंड–आंतरिक लेखा परीक्षा खंड मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों के लेखा की जांच करके यह सुनिश्चित करता है कि इन कार्यालयों द्वारा अपने दैनिक कार्यों में सरकार द्वारा निर्धारित नियमों–विनियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया है।

आंतरिक लेखा परीक्षा एक संगठन के संचालन को बेहतर बनाने और सुधार करने के लिए बनाई गई एक स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ जांच और परामर्श की गतिविधि है। इसका मूल उद्देश्यों जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और शासन प्रक्रियाओं की कारगरता का मूल्यांकन करके उनमें सुधार लाने के लिए एक व्यवस्थित, अनुशासित दृष्टिकोण पेश करके संगठन को सहायता प्रदान करना है। यह वस्तुनिष्ठ जांच और सलाह प्रदान करने का एक प्रभावी उपकरण भी है, जिससे शासन की गुणवत्ता बढ़ती है, परिवर्तन को बल मिलता है, जोखिम प्रबंधन और नियंत्रण प्रक्रिया में सहायता मिलती है और परिणामों के लिए जवाबदेही में सुधार होता है। यह प्रक्रियागत त्रुटियों और कमियों को दूर करने के लिए बहुमूल्य सूचना भी प्रदान करता है और इस प्रकार प्रबंधन के लिए एक सहायक के रूप में कार्य करता है। एक इकाई की लेखा परीक्षा की आवर्तिता उसकी प्रकृति और काम और धन की मात्रा से विनियमित होती है।

मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकायों और अनुदानग्राही संस्थाओं तथा विशिष्ट योजनाओं को छोड़कर, विधि और न्याय मंत्रालय के विभिन्न विभागों और भारत के उच्चतम न्यायालय के अधीन 51 ऑडिट–यूनिटें/आहरण एवं संवितरण अधिकारी हैं। कोविड–19 महामारी के प्रकोप तथा व्यापक वार्षिक लेखा परीक्षा योजना का अनुमोदन विलंब से मिलने के कारण वित्तीय वर्ष 2021–22 में लेखा–परीक्षा संबंधी कोई भी कार्यकलाप नहीं किया गया है।

उपलब्धियां:– व्यापक वार्षिक लेखा परीक्षा योजना के अनुसार लेखा परीक्षा करने के अलावा समय–समय पर अनुस्मारक एवं परिपत्र सबंधित कार्यालयों/विभागों को भेजे गए। अभी तक आंतरिक ऑडिट विंग द्वारा वर्ष 2015–16 की अवधि के दौरान 233 पैरा, वर्ष 2016–17 की अवधि के दौरान 193 पैरा, वर्ष 2017–18 की अवधि के दौरान 46 पैरा, वर्ष 2018–19 की अवधि के दौरान 63 पैरा तथा वर्ष 2019–20 की अवधि के दौरान 28 पैरा निपटाए गए है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में कोविड–19 महामारी के मद्देनजर कोई भी लेखापरीक्षा नहीं की गई। तथापि, लंबित आंतरिक लेखा परीक्षा पैरा की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है:–

वित्तीय वर्ष	लंबित पैरा की संख्या	ड्राप किए पैरा की संख्या	शेष पैरा
2015–16	323	233	90
2016–17	251	193	58
2017–18	60	46	14
2018–19	138	63	75
2019–20	115	28	87
	887	563	324

14. **बैंकिंग व्यवस्था** :– भारतीय बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक और देना बैंक विधि, न्याय मंत्रालय और एससीआई के पीएओ और इसके क्षेत्र अधिकारियों के लिए प्रत्यायित बैंक हैं। संबंधित सीडीडीओ/पीएओ द्वारा प्रत्यायित बैंकों को प्राप्तियां प्रेषित की गईं। प्रत्यायित बैंक में किसी भी प्रभार के लिए महालेखा–नियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के विशेष अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

(15) नई पहलें

(i) सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणालीः

प्रारंभिक रूप से सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को वर्ष 2008–2009 में योजना आयोग के सीपीएसएमएस नामक आयोजना स्कीम के रूप में एमजीएनआरईजीएस, एनआरएचएम, एसएसए और पीएमजीएसवाई जैसी चार प्रमुख योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और मिजोरम में प्रारंभ किया गया। मंत्रालयों/विभागों में नेटवर्क स्थापित करने के प्रारंभिक चरण के बाद, केन्द्र, राज्य सरकार और राज्य सरकारों की एजेंसियों के वित्तीय नेटवर्क को जोड़ने के लिए सीपीएसएमएस (पीएफएमएस) को देश भर में लागू करने का निर्णय लिया गया। योजना को पूर्व योजना आयोग और वित्त मंत्रालय की 12वीं योजना पहल में शामिल किया गया।

पीएफएमएस को मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा निम्नलिखित हेतु अधिदेशित किया गया हैः

- सभी आयोजना स्कीमों के लिए वित्तीाय प्रबंध मंच, सभी प्रापक एजेंसियों का डाटाबेस, योजनागत निधि को देखने के लिए बैंक के कोर बैंकिंग समाधान में एकीकरण, राज्य कोषगारों के साथ एकीकरण और सरकार की आयोजना स्कीम के कार्यान्वयन के न्यूनतम स्तर में निधि प्रवाह की प्रभावशाली और कुशल ट्रैकिंग।
- निधि उपयोगिता पर देश में सभी आयोजना स्कीमों/कार्यान्वयन एजेंसियों को जानकारी उपलब्ध कराना जिससे आयोजना स्कीम के कार्यान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही को बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट मानीटरिंग, समीक्षा और निर्णय सहायता प्रणाली बनाई जा सके।
- सार्वजनिक व्यय में सरकारी पारदर्शिता और योजनाओं में संसाधन उपलब्धता और उपयोगिता के संबंध में तथ्यपरक जानकारी के लिए बेहतर वित्त प्रबंधन के माध्यम से सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में प्रभावशीलता और अर्थव्यवस्था में परिणाम के लिए। इस योजना को लागू किए जाने से कार्यक्रम के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार होगा, व्यवस्था में फ्लोटिंग में कमी, लाभार्थियों को सीधा भुगतान और सार्वजनिक निधि के उपयोग में बड़ी पारदर्शिता और जवाबदेही की स्थिति उत्पन्न होगी। प्रस्तावित प्रणाली अभिशासन में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण सिद्ध होगी।

अधिदेश को कार्यान्वितत करने के लिए मॉडयूलः–

केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अनुसार स्टेकहोलडरों के लिए पीएफएमएस द्वारा विकसित/विकसित किए जा रहे मॉड्यूल का उपर्युक्त अधिदेश निम्नानुसार हैः

I. निधि प्रवाह मानीटरिंग

(क) एजेंसी पंजीकरण
(ख) पीएफएमएस ईएटी माड्यूल के माध्यम से व्यय प्रबंधन और निधि उपयोगिता
(ग) पंजीकृत एजेंसियो के लिए लेखांकन माड्यूल
(घ) कोषागार इंटरफेस
(ड) पीएफएमएस–पीआरआई निधि प्रवाह और उपयोगिता इंटरफेस
(च) राज्य योजनाओं के लिए निधि ट्रेकिंग हेतु राज्य सरकार के लिए तंत्र
(छ) बाह्य सहायता प्राप्तं परियोजनाओं (ईएपी) की मानीटरिंग

II. सीधा लाभ अंतरण डीबीटी माड्यूल

(क) लाभार्थियों के लिए पीएओ
(ख) लाभार्थियों के लिए एजेंसी

(ग) लाभार्थियों के लिए राज्य कोषागार

III. बैंकिंग के लिए इंटरफेस

(क) सीबीएस
(ख) इंडिया पोस्ट्ट
(ग) आरबीआई
(घ) नाबार्ड और सहकारी बैंक

वर्धित अधिदेश को कार्यान्वित करने के लिए माड्यूल

IV. पीएओ कंप्यूटरीकरण– भारत सरकार में किए जाने वाले भुगतान, प्राप्तियों तथा लेखांकन की ऑनलाइन व्यवस्था

(क) कार्यक्रम प्रभाग माड्यूल
(ख) डीडीओ माड्यूल
(ग) पीएओ माड्यूल
(घ) पेंशन माड्यूल
(ड) जीपीएफ और एचआर माड्यूल
(च) जीएसटीएन सहित प्राप्तियां
(छ) वार्षिक वित्तीय विवरण
(ज) नकद प्रवाह प्रबंधन
(झ) नॉन सिविल मंत्रालयों के साथ इंटरफेस

V. नॉन टैक्स रिसीट पोर्टल

अन्य विभागीय पहल :

पीएफएमएस की क्षमताओं को प्रयोग में लाने के लिए, अनेक अन्य विभागों ने अपने विभाग की आवश्यकताओं के लिए उपयोगिताओं को विकसित करने के लिए पीएफएमएस से संपर्क किया है।

VI. एमएचए के लिए इंटरफेस (विदेश प्रभाग) एफसीआरए के तहत निधि प्राप्ति करने वाली एजेंसियों की मानीटरिंग

VII. सीबीडीटी पीएएन मान्य करण

VIII. जीएसटीएन बैंक खाता मान्यकरण

कार्यान्वयन कार्यनीतिः

वित्त मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक वित्तीशय प्रबंधन प्रणाली के चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए कार्ययोजना तैयार और अनुमोदित की गई है।

उन्नत वित्तीय प्रबंधन द्वाराः

- निधियों की जस्ट इन टाईम (जेआईटी) निर्मुक्ति
- अंततः उपयोग सहित निधियों के उपयोग की निगरानी।

कार्यनीतिः

- पीएफएमएस की सार्वभौमिक शुरूआत, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ शामिल है
- पीएफएमएस पर सभी कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) का अनिवार्य पंजीकरण और
- सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पीएफएमएस के व्यय अग्रिम और अंतरण (ईएटी) मॉड्यूल का अनिवार्य उपयोग।

I. केन्द्रीय क्षेत्र (सीएस) योजनाओं/संव्यवहारों के लिए कार्यान्वयन कार्यनीति पूरे किए जाने वाले क्रियाकलाप

- कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अनिवार्य पंजीकरण और ईएटी मॉड्यूल का उपयोग।
- योजनाओं की सभी प्रासंगिक सूचना की मैपिंग।
- पीएफएमएस की प्रत्येक योजना के बजट को अपलोड करना।
- प्रत्येक स्कीम की कार्यान्वयन से संबंधित क्रमबद्धता की पहचान करना।
- पीएफएसएस के साथ विशिष्ट योजनाओं अर्थात् नरेगासॉफ्ट, आवाससॉफ्ट के प्रणालीगत इंटरफेस का एकीकरण।
- प्रशिक्षकों की तैनाती और प्रशिक्षण।

II. राज्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता (सीएएसपी) के लिए कार्यान्वयन

राज्यों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप

- राज्य राजकोष का पीएफएमएस के साथ एकीकरण।
- सभी एसआईए का पीएफएमएस में पंजीकरण (स्तर 1 और नीचे)।
- राज्य योजनाओं की संबधित केन्द्रीय योजनाओं के साथ मैपिंग।
- पीएफएमएस पर राज्य योजनाओं का संविन्यास।
    - राज्य योजना घटकों का संविन्यास
    - प्रत्येक राज्य योजना की क्रमबद्धता की पहचान और संविन्यास
- पीएफएमएस का योजना विशिष्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ एकीकरण।
- प्रशिक्षकों की तैनाती और प्रशिक्षण।
- कार्यान्वयन के लिए निरंतर सहायता।

2020–21 में विधि एवं न्याय मंत्रालय और उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत चार (04) वेतन एवं लेखा कार्यालयों अर्थात् वेतन एवं लेखा कार्यालय (एलए), वेतन एवं लेखा कार्यालय (एलडी), वेतन एवं लेखा कार्यालय (ईओ) और वेतन एवं लेखा कार्यालय (एससीआई) में से वेतन एवं लेखा कार्यालय (एससीआई), जो अभी भी सीजीए द्वारा दी गई अनुमति के अनुरुप काम्पैक्ट माड्यूल पर काम कर रहा है, को छोड़कर तीन (03) वेतन एवं लेखा कार्यालयों अर्थात् वेतन एवं लेखा कार्यालय (एलए), वेतन एवं लेखा कार्यालय (एलडी) और वेतन एवं लेखा कार्यालय(ईओ) के संबंध में पीएफएमएस के भुगतान एवं लेखा माड्यूल का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया है।

विधि एवं न्याय मंत्रालय में ईआईएस/सीडीडीओ/एनटीआरपी माड्यूल की स्थितिः–

1. सीडीडीओ द्वारा इलैक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए सीडीडीओ मॉडयूल का कार्यान्वयन				
मंत्रालय/विभाग	सीडीडीओ की कुल सं.	पीएफएमएस को प्रयोग में लाने वाले सीडीडीओ की सं.	शेष सीडीडीओ की सं.	पीएफएमएस पर लाने के लिए माह–वार योजना मार्च, 2022
विधि एवं न्याय मंत्रालय	32	31	1	1

2. कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस) मॉड्यूल

मंत्रालय/विभाग	डीडीओ की कुल सं.	पीएफएमएस को प्रयोग में लाने वाले डीडीओ की सं.	शेष डीडीओ की सं.	पीएफएमएस पर लाने के लिए माह–वार योजना मार्च, 2022
विधि एवं न्याय मंत्रालय	51	46	5*	3**

*दो(02) आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) के मामलें में फिलहाल ईआईएस की आवश्यकता नहीं है।
**इस मामले को महालेखा नियंत्रक के कार्यालय के समक्ष रखा गया है।

3. नान टैक्स रिसीट पोर्टल (एनटीआरपी) मॉडयूल			
मंत्रालय/विभाग	पीएओ की कुल सं.	पीएफएमएस को प्रयोग में लाने वाले पीएओ की सं.	शेष पीएओ की सं.
विधि एवं न्याय मंत्रालय	4	4	शून्य

विनियोग लेखा, 2019–20 की मुख्य विशेषताएं

(रू करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	अंतिम अनुमान	व्यय	अधिशेष(+) बचत (–)
अनुदान सं. 63				
2052–सचिवालय सामान्य सेवाएं	147.43	131.06	115.60	–15.46
2014–न्याय प्रशासन	442.87	389.18	380.80	–8.38
2015–निर्वाचन	487.00	73.45	71.15	–2.30
2020–आय और व्यय पर करों का संग्रहण	122.90	112.70	95.81	–16.89
2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं	14.80	9.91	9.70	–0.21
2552–उत्तर–पूर्वी क्षेत्र	105.00	5.00	0	–5.00
3601–राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	780.00	707.00	706.81	–0.19
3602–संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सहायता अनुदान	50.00	51.65	51.65	0
4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं के संबंध में पूंजीगत परिव्यय	200.00	286.00	286.00	0
	वर्ष के दौरान वापस की गई राशि			–680.05
योग:	**2350.00**	**2446.00**	**1717.52**	**–728.48**
विनियोग सं. 65–भारत का उच्चतम न्यायालय				
विनियोग सं. 63–भारत का उच्चतम न्यायालय मुख्य शीर्ष–2014 न्याय प्रशासन (प्रभारित)	308.61	328.00	327.99	–0.0001

(स्रोतः विनियोग लेखा 2019–20)